

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय



वार्षिक लेखा

2022-23

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ		
3	अनुसूची 1- पूँजीगत निधि	3
4	अनुसूची 2- निर्दिष्ट/ उद्दिष्ट / अक्षय निधि	4-5
5	अनुसूची 2क-अक्षय निधि एवं पीठ (चेयर)	6-7
6	अनुसूची 3- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	8
7	अनुसूची 3.6(ख) प्रायोजित परियोजनाओं के निमित्त प्राप्ति	9
8	अनुसूची 3.6(ग) प्रायोजित अध्यक्षतावृत्तियों के निमित्त प्राप्ति	10
9	अनुसूची 3.6(घ एवं ड.) यूजीसी तथा भारत सरकार की ओर से अप्रयुक्त अनुदान	11
10	अनुसूची 4- स्थायी परिसंपत्ति	12
11	अनुसूची 4क- अमूर्त परिसंपत्ति (इंटेजिबल एसेट्स)	13
12	अनुसूची 4ख- पेटेंट एवं कॉपीराइट	14
13	अनुसूची 4ग- स्थायी परिसंपत्ति (अन्य)	15
14	अनुसूची 5- समग्र निधि से किए गए निवेश तथा उद्दिष्ट/अक्षय निधि	16
15	अनुसूची 6- वर्तमान परिसंपत्ति	17
16	अनुसूची 6- का संलग्नक-क	18-19
17	अनुसूची 7- ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	20
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की अनुसूचियाँ		
18	अनुसूची 8- शैक्षिक प्राप्ति	21
19	अनुसूची 9- अनुदान/सहायिकी (अविकल्पी अनुदान तथा प्राप्त हुई सहायिकी)	22
20	अनुसूची 10- निवेश से हुई आय	23
21	अनुसूची 11- अर्जित ब्याज	24
22	अनुसूची 12- अन्य आय	25
23	अनुसूची 13- पूर्व अवधि की आय	26
24	अनुसूची 14- स्थापना खर्च	27
25	अनुसूची 14क- कर्मचारी सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ	28
26	अनुसूची 15- शैक्षिक खर्च	29
27	अनुसूची 16- प्रशासनिक खर्च एवं सामान्य खर्च	30

28	अनुसूची 17- परिवहन खर्च	31
29	अनुसूची 18- मरम्मत एवं रखरखाव	32
30	अनुसूची 19- वित्त लागत	33
31	अनुसूची 20- अन्य खर्च	34
32	अनुसूची 21- पूर्व अवधि के खर्च	35
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की अनुसूचियाँ		
33	अनुसूची 22- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	36-45
34	अनुसूची-23 आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट	46-51
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		
35	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	52
भविष्य निधि एवं एनपीएस लेखा		
36	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि लेखा-तुलनपत्र	53
37	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का भविष्य निधि लेखा-आय एवं व्यय लेखा	54
38	वित्त वर्ष 2022-23 का भविष्य निधि लेखा- प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	55
39	एनपीएस टियर-1 खाता-तुलन पत्र (31 मार्च, 2023 के अनुसार)	56
40	एनपीएस टियर-1 खाता-31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	57
41	एनपीएस टियर-1 खाता-वित्त वर्ष 2022-23 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	58
लेखाओं के लेखा-परीक्षा		
45	लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	59-62
46	पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ	63-66

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र


राशि रु. में			
देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि	1	-13,71,29,44,862	-13,02,19,64,670
निर्दिष्ट / उद्दिष्ट / अक्षय निधि	2	1,73,36,74,401	2,09,57,83,488
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	20,55,54,02,818	19,61,48,99,327
कुल		8,57,61,32,357	8,68,87,18,144
परिसंपत्ति			
स्थायी परिसंपत्ति (नेट ब्लॉक)	4	3,39,24,46,704	3,36,24,33,484
मूर्त परिसंपत्ति		2,35,58,79,279	
चालू पूंजीगत कार्य		1,01,96,97,677	
अमूर्त परिसंपत्ति		1,68,69,748	
कायिक तथा उद्दिष्ट/अक्षय निधि से किए गए निवेश	5	1,29,35,72,041	1,63,18,47,552
सरकारों प्रांतभूतया		15,00,000	
डिबेंचर तथा बॉण्ड्स (दीर्घावधि निवेश)		1,80,12,000	
अन्य बैंक एफडीआर (लघु अवधि निवेश)		1,27,40,60,041	
वर्तमान परिसंपत्ति	6	2,63,12,19,742	2,45,94,53,073
ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	7	1,25,88,93,870	1,23,49,84,035
कुल		8,57,61,32,357	8,68,87,18,144


महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ


22


आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट

23


मध्यक कश्यप
अनुभाग अधिकारी (लेखा)


धर्मपाल
परामर्शदाता (लेखा)


शंकरधर
संयुक्त कुलसचिव (विन)


डॉ. सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	राशि रु. में		
	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. आय			
शैक्षिक प्राप्तियां	8	6,95,96,104	5,83,52,124
अनुदान राशि / सहायिकियां	9	4,33,14,40,580	4,02,02,58,360
निवेश से प्राप्त आय	10	2,34,50,717	2,22,14,862
अर्जित ब्याज	11	23,78,806	19,67,558
अन्य आय	12	10,36,14,200	9,48,03,465
पूर्व अवधि की आय	13	1,64,38,352	7,20,45,566
कुल (क)		4,54,69,18,759	4,26,96,41,935
ख. व्यय			
स्थापना खर्च	14	4,73,99,97,024	4,43,81,81,163
शैक्षिक व्यय	15	17,69,35,707	13,15,03,249
प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च	16	72,15,95,060	79,49,77,699
परिवहन खर्च	17	7,58,125	8,16,159
मरम्मत एवं रखरखाव	18	5,35,76,153	2,56,22,317
वित्त लागत	19	20,41,711	14,62,296
अन्य खर्च	20	5,80,511	26,95,303
पूर्व अवधि के खर्च	21	6,87,40,801	5,27,59,168
मूल्यहास	4	16,22,08,784	19,30,67,943
कुल (ख)		5,92,64,33,877	5,64,10,85,297
खर्च से आय के अधिक होने के कारण शेष (क-ख)		-1,37,95,15,119	-1,37,14,43,362
अधिशेष / (घाटा) होने के कारण पूंजीगत निधि में अग्रणीत शेष		-1,37,95,15,119	-1,37,14,43,362
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	22		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट	23		
मयंक कश्यप अनुभाग अधिकारी (लेखा)	धर्मपाल परामर्शदाता (लेखा)	शंकरधर संयुक्त कुलमंचित्र (वित्त)	डॉ. मुमन कुमार वित्त अधिकारी

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1- पूंजीगत निधि

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	-13,02,19,64,670	-11,78,41,38,123
जमा: यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त अनुदान राशि	19,17,21,568	12,60,47,286
जमा: कायिक निधि एवं उद्दिष्ट निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	81,49,937	4,07,576
जमा: प्रायोजित परियोजना निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	9,71,943	31,11,515
जमा: दान दी गई परिसंपत्ति/प्राप्त उपहार	3,98,420	3,01,938
जमा: अन्य परिवर्धन	60,05,680	37,48,500
जमा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रतिपूर्त अनुदान राशि	49,00,74,000	-
घटा: भवनों की आकलन राशि में समायोजन	87,86,621	-
कुल	-12,33,34,29,743	-11,65,05,21,308
(घटा) आय एवं व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष/घाटा	-1,37,95,15,119	-1,37,14,43,362
वर्ष के अंत में शेष	-13,71,29,44,862	-13,02,19,64,670

11/11/20
अनुभाग अधिकारी(लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

शं.पु.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

विवरण	विस्तृत ब्यौरा						
	शैक्षिक विकास निधि	गृह निर्माण अग्रिम निधि	निष्पन्न फाउंडेशन निधि	यूजीसी जेआरएफ निधि	वाहन निधि	एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	सेंटर ऑफ एप्लाइड ह्युमन जेनेटिक्स फंड
क.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क) आदि शेष	14,64,77,622	29,67,84,335	10,98,37,426	80,33,891	7,37,70,114	40,35,245	91,492
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	59,000	63,12,117	-79,43,766	11,31,088	-	-
ग) निधियों के निवेश से प्राप्त आय	25,47,009	38,52,818	17,59,894	46,055	6,64,021	-	-
घ) निवेश / अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज	-	1,21,47,881	21,61,707	-	30,40,018	-	-
ड) बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	2,15,287	32,416	19,560	878	13,328	1,10,060	-
कुल (क)	14,92,39,918	31,28,76,450	12,00,90,705	1,37,058	7,86,18,569	41,45,305	91,492
ख. निधि प्रयोजन के प्रति उपयोग / खर्च							
1) पूंजीगत खर्च	81,10,587	-	-	-	-	-	-
2) राजस्व खर्च	13,49,40,163	-	15,89,057	-	7,50,059	-	-
कुल (ख)	14,30,50,750	-	15,89,057	-	7,50,059	-	-
वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष (क - ख)	61,89,168	31,28,76,450	11,85,01,648	1,37,058	7,78,68,510	41,45,305	91,492

प्रतिनिधि

रोकड़ एवं बैंक शेष	1,36,963	13,82,000	1,05,39,566	48,931	14,74,829	41,45,305	91,492
निवेश	-	29,10,65,686	10,58,00,374	-	5,50,82,598	-	-
ऑटो स्विप निवेश (एमओडी)	7,18,000	64,97,847	-	88,126	1,25,00,000	-	-
प्राप्त अशोध्य ब्याज	-	1,37,21,995	21,61,708	-	88,08,002	-	-
निधि में से अग्रिम राशि / प्राप्य राशि	53,34,205	2,08,922	-	-	3,081	-	-
कुल	61,89,168	31,28,76,450	11,85,01,648	1,37,058	7,78,68,510	41,45,305	91,492

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

विवरण	विस्तृत ब्यौरा					
	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि	जेएनयू पूर्व छात्र अक्षय निधि	विश्वविद्यालय कार्यिक निधि	अक्षय निधि	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क.	(8)	(9)	(10)	(11)	Total (1 to 11)	
क) आदि शेष	42,50,89,792	12,458	53,73,35,351	49,43,15,762	2,09,57,83,488	1,48,73,46,820
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-40,86,36,668	-	5,22,60,526	7,72,80,249	-27,95,37,454	1,43,76,581
ग) निधियों के निवेश से प्राप्त आय	8,91,655	-	-	2,26,31,800	3,23,93,253	5,78,78,047
घ) निवेश / अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज	-	-	2,39,50,870	-	4,13,00,476	1,35,22,530
ड) बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	17,00,337	2,649	1,59,324	34,499	22,88,338	8,48,737
कुल (क)	1,90,45,116	15,107	61,37,06,071	59,42,62,310	1,89,22,28,100	1,57,39,72,715

ख. निधि प्रयोजन के प्रति उपयोग / खर्च						
1) पूंजीगत खर्च	-	-	-	39,350	81,49,937	43,424
2) राजस्व खर्च	-	-	15,22,423	1,16,02,061	15,04,03,763	1,54,81,155
कुल (ख)	-	-	15,22,423	1,16,41,411	15,85,53,700	1,55,24,579

वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष (क - ख)	1,90,45,116	15,107	61,21,83,648	58,26,20,899	1,73,36,74,401	1,55,84,48,136
---	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

प्रतिनिधि

रोकड़ एवं बैंक शेष	45,16,100	15,107	12,05,18,469	19,64,01,602	33,92,70,363	35,74,35,010
निवेश	-	-	45,54,04,086	38,62,19,297	1,29,35,72,041	1,14,23,56,897
ऑटो स्विप निवेश (एमओडी)	1,45,29,016	-	64,59,000	-	4,07,91,989	3,51,53,547
प्राप्त अशोध्य ब्याज	-	-	1,71,18,146	-	4,18,09,851	2,32,83,910
निधि में से अग्रिम राशि / प्राप्य राशि	-	-	1,26,83,947	-	1,82,30,155	2,18,772
वर्ष के अंत में अंत शेष (क - ख)	1,90,45,116	15,107	61,21,83,648	58,26,20,899	1,73,36,74,401	1,55,84,48,136

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

क्र.सं.	2. अक्षय (एंडोमेंट) का नाम	आदिशेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		कुल		9. वर्ष के दौरान ऑब्जेक्ट पर खर्च	अंत शेष		कुल (10+11)
		3. एंडोमेंट	4. संचित ब्याज/अनुदान	5. एंडोमेंट/चेयर	6. ब्याज	7. एंडोमेंट	8. संचित ब्याज/अनुदान		10. एंडोमेंट	11. संचित ब्याज/अनुदान राशि	
1	ए.एन. भद्र अक्षय निधि (एंडोमेंट फंड)	93,830	55,301	-	4,452	93,830	59,753	-	93,830	59,753	1,53,583
2	ए. रमेश राव एंडोमेंट	10,00,000	5,18,349	-	53,350	10,00,000	5,71,699	-	10,00,000	5,71,699	15,71,699
3	एनुअल लेक्चर-जेएन फॉरेन फॉलिसी	45,000	1,44,706	-	2,092	45,000	1,46,798	-	45,000	1,46,798	1,91,798
4	अण्पादुरी प्रोफेसरशिप इन इंटरनेशनल स्टडीज	28,00,000	58,62,498	-	1,90,145	28,00,000	60,52,643	-	28,00,000	60,52,643	88,52,643
5	ऑस्ट्रेलियन हाइ कमीशन	4,00,000	5,26,752	-	18,708	4,00,000	5,45,460	-	4,00,000	5,45,460	9,45,460
6	भगत सिंह पीठ	2,50,00,000	1,67,49,678	-	12,30,185	2,50,00,000	1,79,79,863	-	2,50,00,000	1,79,79,863	4,29,79,863
7	भारत सेवा श्रम संघ	6,00,000	8,58,659	-	28,470	6,00,000	8,87,129	-	6,00,000	8,87,129	14,87,129
8	बिंदु अग्रवाल-अर्पिता मिश्र पुरस्कार	50,000	74,144	-	2,418	50,000	76,562	-	50,000	76,562	1,26,562
9	सेंटर फॉर एल एंड जी फोर्ड फाउंडेशन	2,33,55,546	1,26,69,283	-	15,34,662	2,33,55,546	1,42,03,945	1,11,990	2,33,55,546	1,40,91,955	3,74,47,501
10	चेयर फॉर ट्राइबल स्टुडेंट्स	-	4,15,349	-	-	-	4,15,349	-	-	4,15,349	4,15,349
11	चेयर इन क्लासिकल ग्रीक स्टडीज	62,00,000	1,47,16,524	23,50,744	3,35,970	85,50,744	1,50,52,494	27,26,592	85,50,744	1,23,25,902	2,08,76,646
12	कमोडोर एच.एल. परवाना इंडोमेंट	10,00,000	6,88,563	-	46,509	10,00,000	7,35,072	-	10,00,000	7,35,072	17,35,072
13	डी.एस. गर्दीजी इंडोमेंट फंड/सेंटर फॉर एसएस	16,00,000	8,79,697	-	77,168	16,00,000	9,56,865	1,43,784	16,00,000	8,13,081	24,13,081
14	देवेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल गोल्ड मेडल	10,000	10,682	-	478	10,000	11,160	-	10,000	11,160	21,160
15	दिवाकर मेमोरियल अवार्ड इंडोमेंट	2,00,000	91,916	-	9,301	2,00,000	1,01,217	-	2,00,000	1,01,217	3,01,217
16	डॉ. जयश्री राय इंडोमेंट	5,00,000	59,167	-	26,674	5,00,000	85,841	-	5,00,000	85,841	5,85,841
17	डॉ. रफेल इरूजू-बीटा फर्नांडिस	11,43,059	3,75,177	-	54,347	11,43,059	4,29,524	2,40,000	11,43,059	1,89,524	13,32,583
18	डॉ. एस.डी. शर्मा गोल्ड मेडल	15,000	15,917	-	696	15,000	16,613	-	15,000	16,613	31,613
19	डॉ. श्रीविद्या स्कॉलरशिप पुरस्कार	20,000	29,890	-	929	20,000	30,819	-	20,000	30,819	50,819
20	इंडोमेंट ऑफ लेट जे.सी. टंडन	2,00,000	2,32,745	-	12,037	2,00,000	2,44,782	-	2,00,000	2,44,782	4,44,782
21	इंडोमेंट ऑफ प्रो. महाले, सीएफएस, एसएलएल एंड सीएस	10,000	12,889	-	585	10,000	13,474	-	10,000	13,474	23,474
22	जी. पार्थसारथी अक्षय निधि (एंडोमेंट फंड) फॉर सपोर्टिंग एससी/एसटी स्टुडेंट्स	13,79,041	25,99,858	-	64,497	13,79,041	26,64,355	-	13,79,041	26,64,355	40,43,396
23	जी.एस. सिंघल एंडोमेंट	2,00,000	1,76,347	-	9,160	2,00,000	1,85,507	-	2,00,000	1,85,507	3,85,507
24	गवर्नमेंट ऑफ बहरीन-एस्टेबलिशमेंट ऑफ चेयर	20,00,000	30,58,307	-	1,25,469	20,00,000	31,83,776	-	20,00,000	31,83,776	51,83,776
25	एच.सी. पांडे मेडल	50,000	28,282	-	2,324	50,000	30,606	-	50,000	30,606	80,606
26	इंडो रामा फेलोशिप फंड	100,000	1,39,952	-	6,119	100,000	1,46,071	-	100,000	1,46,071	2,46,071
27	आइपीआर चेयर एंडोमेंट - एमएचआरडी	-	10,29,413	-	-	-	10,29,413	-	-	10,29,413	10,29,413
28	जे.एस. खुराना एंडोमेंट	5,00,000	4,36,630	-	22,902	5,00,000	4,59,532	15,000	5,00,000	4,44,532	9,44,532
29	जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसर चेयर/इनवायर्नमेंटल	44,76,322	10,45,124	-	2,22,601	44,76,322	12,67,725	93,845	44,76,322	11,73,880	56,50,202
30	जीन मॉनेट चेयर लेक्चर/सेमिनार एंडोमेंट	-	11,93,055	-	-	-	11,93,055	-	-	11,93,055	11,93,055
31	ज्वाइंट प्लॉट कमिटी-जीओआइ	19,00,000	17,67,453	-	1,03,780	19,00,000	18,71,233	-	19,00,000	18,71,233	37,71,233
32	कन्नड़ भाषा पीठ	5,00,00,000	52,67,439	-	22,91,191	5,00,00,000	75,58,630	39,10,675	5,00,00,000	36,47,955	5,36,47,955
33	कनुप्रिया भारद्वाज पुरस्कार	20,000	22,261	-	929	20,000	23,190	-	20,000	23,190	43,190
34	कोरियन फाउंडेशन	65,71,000	49,03,548	-	3,55,529	65,71,000	52,59,077	3,17,194	65,71,000	49,41,883	1,15,12,883
35	लेट आदित्य सी. सेंटर फॉर स्पेनिश स्टडीज	13,149	9,565	-	617	13,149	10,182	-	13,149	10,182	23,331
36	अम्बेडकर पीठ	-	-2,96,512	-	-	-	-2,96,512	21,735	-	-3,18,247	-3,18,247
37	स्वर्गीय जुही प्रसाद पुरस्कार	22,292	9,405	-	1,068	22,292	10,473	-	22,292	10,473	32,765
38	प्लानिंग कमीशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर	1,35,00,000	67,02,467	-	7,20,735	1,35,00,000	74,23,202	-	1,35,00,000	74,23,202	2,09,23,202

39	मराठी चेयर एंडोमेंट	1,50,00,000	1,30,84,585	-	8,00,261	1,50,00,000	1,38,84,846	-	1,50,00,000	1,38,84,846	2,88,84,846
40	एम.जे.के. तावराज मेमोरियल मेमोरियल फंड	1,59,920	2,73,976	-	7,326	1,59,920	2,81,302	-	1,59,920	2,81,302	4,41,222
41	नुरुल हसन - इंडोमेंट ई एंड आरएफ स्कॉलरशिप	7,50,000	8,02,541	-	35,688	7,50,000	8,38,229	-	7,50,000	8,38,229	15,88,229
42	प्रफुल्ल कुमार पौनी इंडोमेंट	5,00,000	3,32,504	-	23,253	5,00,000	3,55,757	-	5,00,000	3,55,757	8,55,757
43	प्रो. अप्पादुरी एंड लक्ष्मी अप्पादुरी ट्रस्ट	1,36,888	1,87,287	-	6,434	1,36,888	1,93,721	-	1,36,888	1,93,721	3,30,609
44	प्रो. दलीप सिंह अवाई	25,000	37,472	-	1,162	25,000	38,634	-	25,000	38,634	63,634
45	प्रो. जी.के. चड्ढा इंडोमेंट	5,00,000	1,62,437	-	23,253	5,00,000	1,85,690	-	5,00,000	1,85,690	6,85,690
46	प्रो. स्वर्गीय उर्मिला फडनिस इंडोमेंट	10,000	10,873	-	457	10,000	11,330	-	10,000	11,330	21,330
47	प्रो. मारकंडे गोल्ड मेडल	10,000	14,090	-	585	10,000	14,675	-	10,000	14,675	24,675
48	प्रो. पी.एन. श्रीवास्तव इंडोमेंट	11,98,655	4,37,775	-	57,506	11,98,655	4,95,281	-	11,98,655	4,95,281	16,93,936
49	प्रो. टी.के. ऊम्मन इंडोमेंट/सेटर फॉर स्टडी सिस्टम/एसएसएस	100,000	56,340	-	4,677	100,000	61,017	15,000	100,000	46,017	1,46,017
50	रेलवे बोर्ड (अशोक गुहा)	98,50,000	19,63,548	-	4,92,271	98,50,000	24,55,819	-	98,50,000	24,55,819	1,23,05,819
51	राजीव गांधी पीठ	1,15,00,000	1,06,08,769	-	6,95,836	1,15,00,000	1,13,04,605	-	1,15,00,000	1,13,04,605	2,28,04,605
52	रमन पौनी इंडोमेंट	6,11,628	3,87,874	-	35,887	6,11,628	4,23,761	-	6,11,628	4,23,761	10,35,389
53	आरबीआइ इंडोमेंट चेयर	4,47,50,000	97,44,658	-	20,79,662	4,47,50,000	1,18,24,320	-	4,47,50,000	1,18,24,320	5,65,74,320
54	सज्जाद जहीर एंड राजिर सज्जाद पुरस्कार	100,000	17,067	-	4,799	100,000	21,866	-	100,000	21,866	1,21,866
55	सरोजिनी नाथडू मेमोरियल फंड	30,608	1,05,660	-	1,559	30,608	1,07,219	-	30,608	1,07,219	1,37,827
56	शीला जुनिंग-फेलोशिप सेंटर फॉर एसएस	25,000	20,153	-	1,478	25,000	21,631	-	25,000	21,631	46,631
57	शिशिर गुप्ता मेमोरियल फंड	14,040	35,974	-	664	14,040	36,638	-	14,040	36,638	50,678
58	श्रीमती कैलाश हंस भल्ला इंडोमेंट	5,00,000	1,19,682	-	22,902	5,00,000	1,42,584	-	5,00,000	1,42,584	6,42,584
59	श्री राम मेमोरियल प्राइज फंड	9,946	30,758	-	463	9,946	31,221	-	9,946	31,221	41,167
60	सुलक्षणा देवी महाजन मेमोरियल प्राइज फंड	6,100	24,881	-	248	6,100	25,129	-	6,100	25,129	31,229
61	टैगोर सोसायटी/मिडम किम यांग शिक इंडोमेंट	5,00,000	4,07,260	-	23,994	5,00,000	4,31,254	-	5,00,000	4,31,254	9,31,254
62	तमिल विकास पीठ	50,00,000	38,99,896	5,00,00,000	2,33,435	5,50,00,000	41,33,331	3,93,310	5,50,00,000	37,40,021	5,87,40,021
63	तेंदुलकर ट्रस्ट	84,641	2,33,991	-	4,667	84,641	2,38,658	-	84,641	2,38,658	3,23,299
64	विमला सन मेमोरियल कॉर्पस फंड	30,000	19,365	-	1,373	30,000	20,738	-	30,000	20,738	50,738
65	ओडिया पीठ (चेयर)	4,46,00,000	24,85,524	-	22,07,708	4,46,00,000	46,93,232	15,21,769	4,46,00,000	31,71,463	4,77,71,463
66	सुनगुम सुधर स्कॉलरशिप इंडोमेंट	3,00,00,000	60,19,517	-	16,00,521	3,00,00,000	76,20,038	10,02,732	3,00,00,000	66,17,306	3,66,17,306
67	सीजेएस एलुमनी एंड एन्यूअल मेमोरियल लेक्चर	7,91,888	80,257	-	37,036	7,91,888	1,17,293	-	7,91,888	1,17,293	9,09,181
68	शारदा प्राइज इंडोमेंट	11,00,000	2,49,697	-	53,213	11,00,000	3,02,910	-	11,00,000	3,02,910	14,02,910
69	नमस्ते गवर्नर्स अरुणाचल एंड नगालैंड	5,00,000	57,439	-	24,186	5,00,000	81,625	-	5,00,000	81,625	5,81,625
70	कन्व्ह लैंग्वेज चेयर ऑनलाइन कोर्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	आईसीएम की डॉ ए एस पॅटल विशिष्ट वैज्ञानिक पीठ	-	3,53,487	6,81,818	-	6,81,818	3,53,487	10,20,305	6,81,818	-6,66,818	15,000
72	परतो पीठ	-	-37,47,687	37,47,687	-	37,47,687	-37,47,687	-	37,47,687	-37,47,687	-
73	मनोज केआर श्रीवास्तव गोल्ड मेडल इंडोमेंट	-	-	5,00,000	-	5,00,000	-	20,000	5,00,000	-20,000	4,80,000
74	एसीएनएसएस चेयर ऑफ एक्सलेंस इंडोमेंट	-	-	2,00,00,000	-	2,00,00,000	-	-	2,00,00,000	-	2,00,00,000
75	देव आयकर	-	1,364	-	-	-	1,364	87,480	-	-86,116	-86,116
76	ऑटो स्वीप निवेश पर ब्याज	-	4,19,42,768	-	65,93,199	-	4,85,35,967	-	-	4,85,35,967	4,85,35,967
77	ऊपरि खर्च निवेश पर ब्याज	-	57,17,610	-	-	-	57,17,610	-	-	57,17,610	57,17,610
78	बचत खाता पर ब्याज	-	16,87,336	-	34,499	-	17,21,835	-	-	17,21,835	17,21,835
	कुल	31,33,68,553	18,09,47,209	7,72,80,249	2,26,66,299	39,06,48,802	20,36,13,508	1,16,41,411	39,06,48,802	19,19,72,097	58,26,20,899

अनुभाग अधिकारी (लखा)

परामर्शदाता (लखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

क. वर्तमान देयताएं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2022-23	2021-22
1 स्टाफ की ओर से जमा राशि	22,35,814	12,61,530
2 छात्रों की ओर से जमा राशि	42,43,952	42,43,952
3 विविध देनदार	-	-
क) माल (सामान) हेतु	-	-
4 जमा राशि - अन्य (बयाना राशि, जमानत राशि सहित)		
क) बयाना राशि (ईएमडी)	2,88,317	12,53,445
ख) जमानत राशि	45,09,367	44,44,837
ग) अन्य जमा राशि	9,50,28,908	15,59,93,673
5 वैधानिक देयताएं (जीआइएस, जीपीएफ, सीपीएफ, टीडीएस, कार्य संविदा कर, आदि)		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	1,48,62,056	71,08,111
6 अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन	21,65,71,689	22,52,01,425
ख) चालू प्रायोजित / परामर्श / परियोजनाओं के निमित्त प्राप्तियां	80,20,56,316	77,67,14,018
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्तियों के निमित्त प्राप्तियां	36,64,24,917	38,39,93,536
घ) अप्रयुक्त अनुदान राशि	13,82,35,462	5,44,05,597
च) अन्य देयताएं	5,53,98,650	9,70,90,935
छ) भुगतान के लिए प्रतीक्षित अन्य धनराशि से अंतरण	77,65,44,690	97,57,34,690
7 अग्रिम स्वरूप प्राप्त आय	1,02,45,556	85,88,157
कुल (क)	2,48,66,45,692	2,69,60,33,904
ख) प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2022-23	2021-22
1. अधिवर्षिता / पेंशन	15,94,62,47,603	14,83,58,22,956
2. उपदान (ग्रेचुएटी)	94,20,16,206	94,58,78,384
3. छुट्टी नकदीकरण	1,18,04,93,317	1,13,71,64,083
कुल (ख)	18,06,87,57,126	16,91,88,65,423
कुल (क+ख)	20,55,54,02,818	19,61,48,99,327

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 3.6 (ख) प्रायोजित परियोजनाओं के निमित्त प्राप्तियां

राशि रु. में

1. क्र.सं	2. परियोजना का नाम	3. दिनांक: 01.04.2022 को आदि शेष	4. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	5. कुल	6. वर्ष के दौरान खर्च	7. दिनांक: 31.03.2023 को अंत शेष
1	यूजीसी प्रायोजित परियोजनाएं	19,50,305	1,22,132	20,72,437	17,21,541	3,50,896
2	भारत सरकार प्रायोजित परियोजनाएं	8,53,85,443	1,69,20,211	10,23,05,654	9,93,12,072	29,93,582
3	विदेशी निकाय प्रायोजित परियोजनाएं	3,37,08,233	2,93,72,624	6,30,80,856	3,41,41,698	2,89,39,158
4	अन्य निकाय प्रायोजित परियोजनाएं	9,43,01,515	5,01,15,021	14,44,16,536	7,01,26,205	7,42,90,331
	सीएसआईआर प्रायोजित परियोजनाएं	2,18,14,807	22,98,390	2,41,13,197	49,59,903	1,91,53,294
	आईसीएमआर प्रायोजित परियोजनाएं	3,46,88,679	4,27,23,765	7,74,12,444	3,51,23,069	4,22,89,375
	आईसीएसएसआर प्रायोजित परियोजनाएं	34,63,731	3,51,500	38,15,231	33,55,601	4,59,630
	डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रॉनिक्स...टेक्नोलॉजी	2,34,255	-	2,34,255	-	2,34,255
	अन्य निकाय - अन्य परियोजनाएं	3,41,00,043	47,41,366	3,88,41,409	2,66,87,632	1,21,53,777
5	डीएसटी पर्स चरण-2	26,216	30,02,606	30,28,822	21,25,692	9,03,130
6	डीएसटी परंपरागत ज्ञान पद्धति	33,722	2,42,282	2,76,004	-	2,76,004
7	शैक्षिक नेटवर्क ग्लोबल पहल	42,15,679	1,16,424	43,32,103	5,39,802	37,92,301
8	प्रायोजित सेमिनार/कार्यशाला	96,04,392	78,84,142	1,74,88,534	82,75,022	92,13,512
9	राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	26,59,142	1,20,073	27,79,215	-	27,79,215
10	पर्यावरण सूचना तंत्र	47,04,271	2,59,310	49,63,581	46,73,882	2,89,699
11	आइसाएसएसआर इम्प्रस	10,75,137	61,95,512	72,70,649	45,19,285	27,51,364
12	ओवरहेड खर्च/सेमिनार	89,31,062	40,64,607	1,29,95,669	4,35,108	1,25,60,561
13	डीबीटी-0150 (आईसीआईसीआई)	-	11,85,98,775	11,85,98,775	2,22,52,287	9,63,46,488
14	योजना-1817	-	20,56,573	20,56,573	12,72,138	7,84,435
15	योजना-2401	-	23,81,370	23,81,370	22,29,105	1,52,265
16	योजना-3237	-	25,23,037	25,23,037	25,23,037	-
17	योजना-3668	-	19,60,225	19,60,225	19,01,270	58,955
18	इन वर्षों में संचित ब्याज	53,01,18,900	3,54,55,518	56,55,74,418	-	56,55,74,418
	कुल	77,67,14,018	28,13,90,442	1,05,81,04,460	25,60,48,144	80,20,56,316

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 3.6 (ग) -प्रायोजित अध्येतावृत्तियों के निमित्त प्राप्तियां

राशि रु. में

लेखा-शीर्ष (एजेंसीवार परियोजनाओं/अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के नाम)	01-04-2022 को आदि शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान लेन-देन		31.03.2023 को अंत शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
यूजीसी प्रायोजित अध्येतावृत्ति	3,12,80,723	2,17,05,022	12,18,000	1,07,93,701
भारत सरकार प्रायोजित अध्येतावृत्ति	1,80,50,137	4,44,58,324	3,77,04,468	1,12,96,281
अन्य निकाय प्रायोजित अध्येतावृत्ति	16,77,766	5,23,34,247	5,45,97,539	39,41,058
वर्ष के दौरान संचित ब्याज	33,18,66,686		69,01,053	33,87,67,739
देय आयकर	11,18,225	6,619	5,14,533	16,26,139
कुल	38,39,93,536	11,84,97,593	10,09,35,593	36,64,24,917

म.कै.क.
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

म.कै.क.
परामर्शदाता (लेखा)

श्री. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

अनुसूची 3.6 (घ) - यूजीसी/भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान राशि

राशि रु. में

	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क. भारत सरकार		
शेष राशि अग्रेनीत	1,99,01,864	8,26,34,208
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	5,805,000	-
कुल (क)	2,57,06,864	8,26,34,208
घटा: लौटाई गई धनराशि	75,594	47,151
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	48,62,757	9,61,047
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	35,91,475	6,17,24,146
कुल (ख)	85,29,826	6,27,32,344
अग्रेनीत अप्रयुक्त कुल (क-ख)	1,71,77,038	1,99,01,864
ख. यूजीसी अनुदान राशि: योजनागत		
शेष राशि अग्रेनीत	34,503,733	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	38,41,38,554	17,19,36,445
कुल (ग)	41,86,42,287	17,19,36,445
घटा: लौटाई गई धनराशि	6,44,38,697	4,32,83,424
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	5,48,17,755	4,34,57,893
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	17,83,27,411	5,06,91,395
कुल (घ)	29,75,83,863	13,74,32,712
अग्रेनीत अप्रयुक्त कुल (ग-घ)	12,10,58,424	3,45,03,733
ग. यूजीसी अनुदान राशि प्राप्तियां योजनेतर		
शेष राशि अग्रेनीत	-	-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	4,82,47,00,000	4,00,47,13,000
कुल (ङ)	4,82,47,00,000	4,00,47,13,000
घटा: लौटाई गई धनराशि	5,30,63,250	1,52,41,835
घटा: यूजीसी से प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि	49,00,74,000	-
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	4,27,17,60,068	3,97,58,39,420
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	98,02,682	1,36,31,745
कुल (च)	4,82,47,00,000	4,00,47,13,000
अग्रेनीत अप्रयुक्त कुल (ङ-च)	-	-
कुल योग (क+ख+ग) ↘	13,82,35,462	5,44,05,597

↘

* अप्रयुक्त अनुदान राशि से तात्पर्य परिसंपत्ति साइड में बैंक शेष बैंक में जमा लघु अवधि जमा राशि तथा पूंजीगत लेखा अग्रिम राशि से है।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रांस ब्लॉक				वर्ष 2022-23 के लिए अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01.04.22 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2023	31.03.2022
1	भूमि	21,08,53,672	-	-	21,08,53,672	-	-	-	-	21,08,53,672	21,08,53,672
2	साइट विकास	15,37,00,012	40,69,308	17,83,313	15,59,86,007	-	-	-	-	15,59,86,007	15,37,00,012
3	भवन	2,13,32,43,085	3,54,000	50,94,736	2,12,85,02,349	49,29,67,094	4,25,70,047	-	53,55,37,141	1,59,29,65,208	1,64,02,75,991
4	सड़क एवं पुल	13,22,82,251	-	-	13,22,82,251	1,23,55,847	26,45,645	-	1,50,01,492	11,72,80,759	11,99,26,404
5	नलकूप एवं जलापूर्ति	8,11,47,952	38,985	-	8,11,86,937	1,50,47,122	16,23,739	-	1,66,70,860	6,45,16,077	6,61,00,830
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	1,23,22,510	62,00,000	19,08,572	1,66,13,938	19,75,858	3,32,279	-	23,08,137	1,43,05,801	1,03,46,652
7	बिजली के उपकरणों का संस्थापन एवं उपस्कर	22,58,18,325	73,91,640	1,11,55,308	22,20,54,657	15,96,46,969	1,11,02,733	1,11,00,737	15,96,48,965	6,24,05,693	6,61,71,357
8	संयंत्र एवं मशीनरी	5,24,96,437	6,38,269	-	5,31,34,706	2,55,38,124	26,56,735	-	2,81,94,859	2,49,39,847	2,69,58,313
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	1,14,66,20,279	1,46,22,026	2,83,57,336	1,13,28,84,969	1,12,88,26,311	1,89,63,729	2,83,57,334	1,11,94,32,706	1,34,52,263	1,77,93,968
10	कार्यालयी उपकरण	6,65,85,372	7,12,298	36,998	6,72,60,672	5,71,65,858	50,44,550	12,750	6,21,97,658	50,63,014	94,19,514
11	दृश्य-श्रव्य उपकरण	11,70,30,702	24,84,353	4,09,000	11,91,06,055	9,45,93,281	89,32,954	4,08,999	10,31,17,237	1,59,88,818	2,24,37,421
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	59,08,95,209	1,70,88,893	79,34,921	60,00,49,181	55,27,31,272	3,22,38,621	79,03,716	56,70,66,177	3,29,83,004	3,81,63,937
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	26,21,53,095	42,17,666	4,58,123	26,59,12,638	24,56,32,687	1,99,43,448	4,57,422	26,51,18,713	7,93,925	1,65,20,408
14	वाहन	1,48,39,690	-	-	1,48,39,690	1,02,08,565	7,22,126	-	1,09,30,691	39,08,999	46,31,125
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक शोध पत्रिकाएं	69,47,55,203	1,48,28,395	28,168	70,95,55,430	65,43,12,984	1,50,42,764	28,168	66,93,27,580	4,02,27,851	4,04,42,219
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	1,01,20,863	9,904	-	1,01,30,767	1,01,20,863	9,904	-	1,01,30,767	-	-
17	अन्य	4,73,08,728	2,31,490	-	4,75,40,218	4,73,08,727	23,149	-	4,73,31,876	2,08,342	1
कुल (क)		5,95,21,73,384	7,28,87,227	5,71,66,475	5,96,78,94,137	3,50,84,31,561	15,18,52,422	4,82,69,126	3,61,20,14,857	2,35,58,79,280	2,44,37,41,824

18	चालू पूंजीगत कार्य (ख)	90,43,48,152	13,93,91,525	2,40,42,000	1,01,96,97,677	-	-	-	-	1,01,96,97,677	90,43,48,152
----	------------------------	--------------	--------------	-------------	----------------	---	---	---	---	----------------	--------------

क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01/04/2022 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/समायोजन	कुल ऋणमुक्ति/समायोजन	31.03.2023	31.03.2022
19	सॉफ्टवेयर	7,58,01,638	1,23,06,964	-	8,81,08,602	7,08,85,152	97,41,104	-	8,06,26,257	74,82,345	49,16,486
20	ई-पत्रिकाएं	4,05,08,986	7,03,832	-	4,12,12,818	3,98,15,288	6,15,158	-	4,04,30,545	7,82,273	6,93,698
21	पेटेंट	1,16,90,116	-	-	1,16,90,116	29,56,791	1,28,195	-	30,84,986	86,05,130	87,33,325
कुल (ग)		12,80,00,740	1,30,10,796	-	14,10,11,536	11,36,57,231	1,04,84,557	-	12,41,41,788	1,68,69,748	1,43,43,509

कुल योग (क+ख+ग)		6,98,45,22,276	22,52,89,548	8,12,08,475	7,12,86,03,349	3,62,20,88,792	16,23,36,979	4,82,69,126	3,73,61,56,645	3,39,24,46,704	3,36,24,33,484
------------------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

नोट- चालू पूंजीगत कार्य शीर्ष के सामने ग्रांस ब्लॉक के अंतर्गत 'कटौतियां' कॉलम में दर्शाए गए आंकड़े वर्ष के दौरान चालू कार्य से परिसंपत्ति में अंतरित आंकड़ों को दर्शाते हैं।
परिसंपत्ति 01 से 14 के सामने ग्रांस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ष के दौरान 'परिवर्धन' कॉलम में दर्शाए गए आंकड़ों में वर्ष के दौरान और अधिक अर्जित की गई राशि के साथ-साथ उक्त वर्ष के दौरान चालू कार्य से अंतरित आंकड़े शामिल हैं।
पेटेंट्स की ऋणमुक्ति शैक्षिक खर्च का अंग है, न कि वर्ष के दौरान मूल्यहास का।

अनुभा
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामशंदाता
परामशंदाता (लेखा)

संयुक्त
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 4 क- अमूर्त परिसंपत्ति

राशि रु. में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2022-23 के लिए परिशोधन				31.03.2023	31.03.2022
		01.04.22 को आदि शेष	परिवर्धन	अव. आदि शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन	अव. आदि शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन		
1	पेटेंट	1,16,90,116	-	-	1,16,90,116	29,56,791	1,28,195	-	30,84,986	86,05,130	87,33,325
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	7,58,01,638	1,23,06,964	-	8,81,08,602	7,08,85,152	,97,41,104	-	8,06,26,257	74,82,345	49,16,486
3	ई-शोध पत्रिकाएं	4,05,08,986	7,03,832	-	4,12,12,818	3,98,15,288	6,15,258	-	4,04,30,545	7,82,273	6,93,699
	कुल	12,80,00,740	1,30,10,796	-	14,10,11,536	11,36,57,231	1,04,84,557	-	12,41,41,788	1,68,69,748	1,43,43,509

नरेश को
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मनदीप
परामर्शदाता (लेखा)

श्री. व्.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

अनुसूची 4ख- पेटेंट एवं कॉपीराइट

विवरण	आदि शेष	परिवर्धन	कुल	ऋण मुक्ति	नेट ब्लॉक 2022-23
क. प्रदान किए गए पेटेंट					
1 वर्ष 2016-17 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - Rs. 8,00,803/-)	2,66,935	-	2,66,935	88,978	1,77,957
2 वर्ष 2018-19 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - Rs. 2,62,560/-)	1,45,868	-	1,45,868	29,173	1,16,695
3 वर्ष 2019-20 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - Rs. 90,400/-)	60,268	-	60,268	10,044	50,224
कुल (क)	4,73,071	-	4,73,071	1,28,195	3,44,876

विवरण	आदि शेष	परिवर्धन	समग्र	पेटेंट (स्वीकृत/अस्वीकृत)	नेट ब्लॉक 2022-23
ख. लंबित पेटेंट					
लंबित निर्णय हेतु आवेदन किए गए पेटेंटों पर हुआ खर्च	82,60,253	-	82,60,253	-	82,60,253
कुल (ख)	82,60,253	-	82,60,253	-	82,60,253

ग. कुल योग (क+ख)	87,33,324	-	87,33,324	1,28,195	86,05,129
-------------------------	------------------	----------	------------------	-----------------	------------------

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 4 ग- स्थायी परिसंपत्ति (अन्य)

राशि रु. में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2022-23 के लिए अवमूल्यन				31.03.2023	31.03.2022
		01.04.22 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष हेतु अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन		
1	भूमि	2,44,53,672	-	-	2,44,53,672	-	-	-	-	2,44,53,672	2,44,53,672
2	साइट विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	बिजली के उपकरणों का संस्थापन	4,87,450	-	-	4,87,450	90,069	24,373	-	1,14,442	3,73,008	3,97,381
8	संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	1,32,53,345	46,936	-	1,33,00,281	68,35,035	10,64,022	-	78,99,057	54,01,224	64,18,310
10	कार्यालयी उपकरण	-	5,680	-	5,680	-	426	-	426	5,254	-
11	दृश्य-श्रव्य उपकरण	1,61,771	24,300	-	1,86,071	31,223	13,955	-	45,178	1,40,893	1,30,548
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	1,28,95,815	8,18,183	-	1,37,13,998	1,02,91,814	27,42,800	-	1,30,34,614	6,79,384	26,04,001
	सॉफ्टवेयर	1,99,694	-	-	1,99,694	1,99,693	-	-	1,99,693	1	1
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	10,04,646	2,87,675	-	12,92,321	5,74,796	96,924	-	6,71,720	6,20,601	4,29,850
14	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक शोध पत्रिकाएं	2,99,47,008	21,43,206	-	3,20,90,214	2,28,40,366	32,09,021	-	2,60,49,387	60,40,827	71,06,642
	ई-पत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	16,291	-	-	16,291	16,290	-	-	16,290	1	1
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	8,24,19,692	33,25,980	-	8,57,45,672	4,08,79,286	71,51,521	-	4,80,30,807	3,77,14,865	4,15,40,406
18	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	62,00,000	-	62,00,000	-	-	-	-	62,00,000	-
	कुल योग (1-18)	8,24,19,692	95,25,980	-	9,19,45,672	4,08,79,286	71,51,521	-	4,80,30,807	4,39,14,865	4,15,40,406

नोट: वर्ष के दौरान परिवर्धन में निम्न परिवर्धन शामिल हैं

दिए गए उपहार	3,98,420
शैक्षिक विकास निधि	81,10,587
जमा राशि	5,680
अक्षय निधि	39,350
प्रायोजित परियोजना/अध्येतावृत्ति	9,71,943
कुल	95,25,980

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलमचिब (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 5 -कायिक निधि एवं उद्दिष्ट / अक्षय निधि से किए गए निवेश

राशि रु. में

निवेश	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	15,00,000	1,26,50,000
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3 डिबेंचर एवं बॉड (दीर्घ अवधि निवेश)	1,80,12,000	5,89,12,000
4 अन्य बैंक एफडीआर (अल्पावधि निवेश)	1,27,40,60,041	1,56,02,85,552
कुल	1,29,35,72,041	1,63,18,47,552

उद्दिष्ट/अक्षय निधि (निधिवार)

निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 कायिक निधि निवेश	45,54,04,086	48,94,90,655
2 शैक्षिक विकास निधि निवेश	-	12,12,00,000
3 गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश	29,10,65,686	28,05,00,000
4 निप्पन फाउंडेशन निधि निवेश	10,58,00,374	9,71,19,720
5 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि निवेश	-	27,61,68,624
6 अक्षय निधि निवेश	38,62,19,297	31,33,68,553
7 वाहन निधि निवेश	5,50,82,598	5,40,00,000
कुल	1,29,35,72,041	1,63,18,47,552

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामशदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1 स्टॉक:		
क) लैब रसायन एवं उपभोज्य वस्तुएं	7,52,580	4,38,719
ख) निर्माण सामग्री	10,68,041	8,85,821
ग) साफ-सफाई सामग्री	2,40,446	3,15,898
घ) विद्युत सामग्री	13,50,452	2,50,036
ङ) वर्दी एवं यूनिफॉर्म	1,52,102	50,093
च) दवा भंडार	2,84,443	3,92,112
छ) लेखन सामग्री	11,36,592	11,89,614
ज) खेलकूद सामग्री	1,60,000	
2 विविध देनदार		
क) छह महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण	26,037	49,473
ख) अन्य		
3 रोकड़ शेष		
क) रोकड़ उद्दिष्ट निधि, प्रायोजित अध्येतावृत्ति	-	-
ख) रोकड़ रखरखाव, रोकड़ छात्रवृत्ति लेखा	-	-
ग) अग्रदाय रखरखाव लेखा	2,79,975	2,75,987
घ) अग्रदाय योजनागत लेखा	3,000	3,000
ङ) हस्तगत डाक	62,841	2,54,668
4 अधिसूचित बैंकों में बैंक शेष (संलग्नक - क)		
क) बचत खाते में	1,44,94,38,199	
ख) चालू खाते पेंशन में	8,37,86,983	
ग) जमा सावधि में (मियादी जमा (एफडी) व ऑटो स्वीप सहित)	1,09,24,78,051	2,45,53,47,652
कुल	2,63,12,19,742	2,45,94,53,073

मि.के.के.
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता
परामर्शदाता (लेखा)

श्री.प.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

31.03.2023 को अंतः शेष

1. बैंक खाते

	जमा राशि निधि बैंक खाता		6,31,18,057
1	बैंक (जमा) खाता	4,58,61,215	
2	बैंक (छात्र सहायता निधि) खाता	14,17,261	
3	बैंक (छात्र) खाता	1,58,39,581	
	विकास योजना निधि खाता		11,20,25,354
4	बैंक पूंजीगत परिसंपत्ति 035 खाता	4,69,78,641	
5	बैंक संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीबीटी खाता	87,41,846	
6	बैंक विकास योजना खाता	5,62,54,429	
7	बैंक अवसंरचना विकास निधि खाता	50,437	
8	बैंक जेएनयू आरबीआई पूंजीगत खाता	-	
9	बैंक जेएनयू आरबीआई योजना खाता	-	
	उद्दिष्ट निधि बैंक खाता		33,92,70,363
10	बैंक (शैक्षिक विकास निधि) खाता	1,36,963	
11	बैंक (सीएचजी निधि) खाता	91,492	
12	बैंक (वाहन निधि) खाता	14,74,829	
13	बैंक (कायिक निधि) खाता	12,05,18,469	
14	बैंक (अक्षय एवं पीठ) खाता	19,64,01,603	
15	बैंक (एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि) खाता	41,45,305	
16	बैंक (गृह-निर्माण अग्रिम निधि) खाता	13,82,000	
17	बैंक (जेएनयू अलुमनी अक्षय) निधि	15,107	
18	बैंक (निष्पन्न फाउंडेशन निधि) खाता	1,05,39,566	
19	बैंक (यूजीसी जेआरएफ अध्येतावृत्ति) खाता	48,931	
20	बैंक (यूजीसी राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति) खाता	45,16,099	
	ईएमएफ बैंक खाता		61,68,51,738
21	बैंक (डीबीटी-0150) आईसीआईसीआई खाता	9,63,46,488	
22	बैंक डीबीटी प्रायोजित परियोजना खाता	25,31,684	
23	बैंक (डीएसटी पर्स फेज-2) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5,20,975	
24	बैंक (डीएसटी परंपरागत ज्ञान पद्धति)	2,76,004	
25	बैंक (पर्यावरण सूचना तन्त्र)	2,89,699	
26	बैंक (ज्ञान प्रोग्राम) खाता	37,92,301	
27	बैंक (आईसीएसएसआर अग्रदाय) खाता	27,51,364	

28	बैंक (राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान)	27,79,215	
29	बैंक (पर्स फेस - II) खाता	3,82,155	
30	बैंक (योजना 1817)	7,84,435	
31	बैंक (योजना 2401))	1,52,265	
32	बैंक (योजना 3237)	-	
33	बैंक (योजना 3668)	58,955	
34	बैंक (संगोष्ठी) खाता	92,13,512	
35	बैंक (प्रायोजित अध्येतावृत्ति) खाता	82,09,191	
36	बैंक (प्रायोजित अध्येतावृत्ति) (भारतीय) खाता	9,69,91,654	
37	बैंक (प्रायोजित परियोजना) खाता	39,17,71,841	
	रखरखाव निधि बैंक खाता		40,19,59,670
38	बैंक (गोमती अतिथि गृह) खाता	1,08,452	
39	बैंक (जेएनयू आरबीआई नॉट-नेट) खाता	-	
40	बैंक (जेएनयू आरबीआई आवर्ती) खाता	-	
41	बैंक (जेएनयू आरबीआई वेतन) खाता	-	
42	बैंक (जेएनयू-स्कूल ऑफ इंजीनियरी) खाता	80,37,157	
43	बैंक (पेंशन निधि) खाता	8,37,86,983	
44	बैंक (भर्ती फीस)-आइडीबीआई खाता	18,02,507	
45	बैंक (आवर्ती 031) खाता	14,22,411	
46	बैंक (सेवानिवृत्ति निधि) खाता	10,29,913	
47	बैंक (वेतन 036 खाता)	17,54,90,442	
48	बैंक (अध्येतावृत्ति) खाता	3,31,48,026	
49	बैंक (यूजीसी रखरखाव) खाता	4,70,60,021	
50	बैंक (यूजीसी योजनागत अध्येतावृत्ति) (नॉन नेट)	5,00,73,759	
	कुल		1,53,32,25,182
	2. अधिसूचित बैंकों में मियादी जमा एवं ऑटो स्वीप		1,09,24,78,051
	कुल (I व II)		2,62,57,03,233

अनुभाग अधिकारी (लंखा)


परामर्शदाता (लंखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी


विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
ऋण एवं अग्रिम		
1 कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज मुक्त)		
- त्योहार	15,000	15,000
- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)	14,70,633	99,684
2 अग्रिम एवं नकद स्वरूप अथवा बदले में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के बदले में वसूली योग्य अन्य राशियां		
- उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	3,10,62,566	3,10,62,566
- पूंजीगत लेखा अग्रिम-सिविल कार्य	29,25,18,874	10,24,61,513
- अन्य	2,61,20,069	4,18,02,652
3 पूर्व में भुगतान किए गए व्यय		
- बीमा	35,021	51,692
- अन्य खर्च	1,49,18,726	16,56,524
4 अर्जित एवं अशोध आय		
- निम्नलिखित से निवेश		
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	21,61,707	1,05,09,903
जमा खाता	14,30,933	5,60,436
कार्यिक निधि	1,71,18,146	93,73,735
प्रायोजित परियोजना / प्रायोजित अध्येतावृत्ति	42,77,505	41,66,927
रखरखाव खाता	5,86,471	18,22,548
योजनागत खाता से किए गए मियादी जमा	31,09,397	23,84,581
- कर्मचारियों को देय ब्याज सहित अग्रिम	2,33,86,738	1,36,30,748
5 अन्य - वर्तमान परिसंपत्ति - प्राप्य		
- आयकर से प्राप्य	86,66,802	41,49,207
- एनपीएस टियर-1 से प्राप्य	19,510	19,510
6 दुकानों के किराए, रॉयल्टी आदि से प्राप्त होने वाली आय	3,16,71,830	3,02,34,297
7 अन्य निधियों से प्रतीक्षित प्राप्तियों का अंतरण	77,65,44,690	97,57,34,690
8 ई-शोध पत्रिकाएं/पत्रिकाएं से प्राप्य		14,99,322
9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्य	52,20,753	
10 वित्तीय दुर्विनियोजन से प्राप्य	88,10,000	
11 विश्वविद्यालय द्वारा जमानत राशि	97,48,500	37,48,500
कुल	1,25,88,93,870	1,23,49,84,035

नोट: 1. चूंकि परिक्रामी निधि स्टाफ को गृह-निर्माण, कंप्यूटर एवं वाहन अग्रिम देने के लिए सृजित की गई है। उक्त अग्रिम राशियां उद्दिष्ट/अक्षय निधि के रूप में दर्शाई जाएंगी। इन ब्याज सहित अग्रिमों के निमित्त शेष राशि इस अनुसूची में दर्शाई नहीं जाएगी।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


परामशंदाता (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियां

अनुसूची-8 शैक्षिक प्रामियां

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश शुल्क/नामांकन शुल्क/पंजीकरण शुल्क/शिक्षण शुल्क	6,59,64,463	5,54,52,215
ख) परीक्षा		
1. अंक तालिका, प्रमाणपत्र शुल्क	400	-
ग) अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	725	2,025
2. अन्य विविध शुल्क	8,33,372	6,44,664
घ. जेएनयू के प्रवेश फॉर्मों की बिक्री	-	-
ड. अन्य शैक्षिक प्रामियां		
1. पंजीकरण शुल्क (एचआरडीसी)	20,90,544	15,18,020
2. दीक्षांत-समारोह के लिए पंजीकरण	7,06,600	7,35,200
कुल	6,95,96,104	5,83,52,124

म.पं.क.
अनुभाग अधिकारी (लंखा)

म.पं.क.
परामर्शदाता (लंखा)

श्री.प.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

विवरण	भारत सरकार	यूजीसी		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
		योजनागत/ योजनाएं	वेतन/आवर्ती	कुल	कुल
अग्रणीत शेष	1,99,01,864	3,45,03,733	-	5,44,05,597	8,26,34,208
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	58,05,000	38,41,38,554	4,82,47,00,000	5,21,46,43,554	4,17,66,49,445
कुल	2,57,06,864	41,86,42,287	4,82,47,00,000	5,26,90,49,151	4,25,92,83,653
घटा: यूजीसी को लौटाई गई राशि/रखरखाव में अंतरण	75,594	6,44,38,697	5,30,63,250	11,75,77,541	5,85,72,410
घटा: यूजीसी द्वारा अनुदान की प्रतिपूर्ति	-	-	49,00,74,000	49,00,74,000	-
शेष	2,56,31,270	35,42,03,590	4,28,15,62,750	4,66,13,97,610	4,20,07,11,243
घटा: पूंजीगत खर्च के लिए व्यय (क)	35,91,475	17,83,27,411	98,02,682	19,17,21,568	12,60,47,286
शेष	2,20,39,795	17,58,76,179	4,27,17,60,068	4,46,96,76,042	4,07,46,63,957
घटा: राजस्व खर्च के लिए व्यय (ख)	48,62,757	5,48,17,755	4,27,17,60,068	4,33,14,40,580	4,02,02,58,360
अग्रणीत शेष (ग)	1,71,77,038	12,10,58,424	-	13,82,35,462	5,44,05,597


क. -वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में जमा राशि तथा स्थायी परिसंपत्ति में जमा राशि के रूप में दर्शाया गया है।

ख. -आय एवं व्यय खाता में आय के रूप में दर्शाया गया है।


ग. -1) तुलनपत्र में वर्तमान देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष यह आदि शेष बन जाएगा।


-2) असेट साइड में बैंक शेष, निवेश एवं अग्रिम से तात्पर्य है।

घ. उपलब्ध अनुदान राशि/सहायिकी से अधिक खर्च का वहन यूजीसी से अनुदान राशि के प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय की अन्य उपलब्ध धनराशि से अस्थायी तौर पर लिए गए आंतरिक प्राप्ति/निधि से वहन किया गया।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


परामशंदाता (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 10: निवेश से आय

राशि रु. में

विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधि		पूँजी/योजनाएं/आवर्ती	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	1,32,889	27,98,722	-	-
ख. डिबेंचर एवं बॉण्ड पर	-	-	-	-
2. सावधि जमा राशि पर ब्याज / ब्याज धारक पेशगियां	7,35,60,840	8,65,57,654	2,34,50,717	2,22,14,862
3. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	22,88,338	8,79,384	-	-
कुल	7,58,49,178	8,74,37,038	2,34,50,717	2,22,14,862
संबंधित उद्दिष्ट/अक्षय निधि में अंतरित	7,58,49,178	8,74,37,038		
शेष	शून्य	शून्य		

नोट:-

गृह-निर्माण अग्रिम निधि, वाहन अग्रिम निधि तथा कंप्यूटर अग्रिम निधि एवं कर्मचारियों को देय ब्याज धारक अग्रिम राशि से सावधि जमा पर अर्जित अशोध्य ब्याज को यहां (मद सं. 2) में तब शामिल किया जाएगा जब ऐसी अग्रिम राशि के लिए परिक्रामी निधि (ईएमएफ) बनाई जाएगी।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलमसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची-11 : अर्जित ब्याज

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	23,78,806	19,67,558
2. ऋण पर		
क. कर्मचारी / स्टाफ	-	-
ख. अन्य	-	-
3. देनदारों एवं अन्य प्राप्य स्रोतों पर	-	-
कुल	23,78,806	19,67,558

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 12 - अन्य आय

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क. भूमि एवं भवनों से आय		
1. स्टाफ क्वार्टरों से लाइसेंस फीस	1,00,63,065	1,01,89,736
2. विद्युत प्रभार	3,49,46,351	3,85,35,483
3. जल प्रभार	44,29,757	53,25,577
4. संरक्षण प्रभार	4,55,923	3,06,742
5. अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) का किराया	52,73,517	15,29,470
6. दुकानों, मकानों - डाकघर, बैंक आदि का किराया	1,57,14,016	1,39,45,154
ख. रॉयल्टी से आय	10,00,285	7,07,054
ग. अन्य		
1. आरटीआई शुल्क	3,64,259	630
2. परिवहन के प्रयोग हेतु प्रभार	-	17,500
3. परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान पर अधिशेष	14,06,026	3,36,786
4. सीजीएचएस वसूली	1,20,20,959	1,39,31,310
5. विविध प्राप्तियां (निविदा फॉर्म की बिक्री, रद्दी कागज आदि)	44,037	-
6. विविध आय (अप्रोजेक्ट भंडार सामग्री/खाली बोतल अथवा गिलास, प्रॉसपेक्टस की बिक्री, जुर्माना एवं शास्तियां एवं अन्य विविध आय)	1,78,96,006	99,78,023
कुल	10,36,14,200	9,48,03,465

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामशदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 13 - पूर्व अवधि आय

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1 पूर्व अवधि आय	1,64,38,352	7,20,45,566
2 निवेश से आय	-	-
3 अर्जित ब्याज	-	-
4 अन्य आय	-	-
कुल	1,64,38,352	7,20,45,566

मधुसूदन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मधुसूदन
परामर्शदाता (लेखा)


श्री. अ.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

रजनीश कुमार
वित्त अधिकारी


अनुसूची 14 -स्थापना खर्च


राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
	कुल	कुल
क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	2,22,48,64,267	2,14,39,59,643
ख) भविष्य निधि में अंशदान	57,31,390	65,86,120
ग) बोनस	-	-
घ) छुट्टी यात्रा रियायत	1,83,77,050	1,31,09,690
ङ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	7,20,56,729	4,77,96,592
च) शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	1,69,76,250	1,64,34,000
छ) स्टाफ कल्याण खर्च	3,15,356	4,71,700
ज) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण)	2,39,24,91,998	2,19,80,20,361
झ) शुल्क और मानदेय	85,01,098	84,16,643
ट) छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान भुगतान	6,82,886	33,86,414
कुल योग	4,73,99,97,024	4,43,81,81,163


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


परामशंदाता (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 14 क- कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ

राशि रु. में

विवरण	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
आदि शेष (01.04.2022)	14,83,58,22,956	94,58,78,384	1,13,71,64,083	16,91,88,65,423
	3,46,52,755	70,75,857	79,83,429	4,97,12,041
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदानों की पूंजीकृत कीमत				
कुल (क)	14,87,04,75,711	95,29,54,241	1,14,51,47,512	16,96,85,77,464
घटा: वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	90,20,45,649	9,23,33,304	10,36,71,808	1,09,80,50,761
31-03-2023 को उपलब्ध शेष (ग) = (क-ख)	13,96,84,30,062	86,06,20,937	1,04,14,75,704	15,87,05,26,703
बीमांकन अनुमान के अनुसार 31-03-23 को अपेक्षित प्रावधान (घ)	15,94,62,47,603	94,20,16,206	1,18,04,93,317	18,06,87,57,126
क. 2022-23 में किए जाने वाले प्रावधान (घ-ग)	1,97,78,17,541	8,13,95,269	13,90,17,613	2,19,82,30,423
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				13,82,00,990
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				5,43,53,126
घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा				17,07,459
कुल (क+ख+ग+घ)				2,39,24,91,998

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलमचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 15 -शैक्षिक खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23 कुल	पिछला वर्ष 2021-22 कुल
1 प्रयोगशाला संचालन खर्च	52,06,628	35,91,268
2 क्षेत्र कार्य / सम्मेलनों में प्रतिभागिता	14,53,071	8,38,322
3 शिक्षण सहायक सामग्री	6,24,279	2,00,429
4 संगोष्ठी / कार्यशाला	5,84,817	37,51,541
5 अतिथि शिक्षक भुगतान	5,50,000	12,46,875
6 शोध गतिविधियां	22,378	-
7 परीक्षा खर्च	1,44,30,268	36,54,767
8 छात्र कल्याण खर्च	10,45,22,395	8,44,70,457
9 छात्रों को छात्रवृत्ति/वृत्तिका (स्टाइपेंड)	3,85,49,510	1,99,79,385
10 शोध-पत्रिकाएं एवं प्रकाशन	92,35,690	1,28,68,702
11 दीक्षांत समारोह खर्च	4,44,939	-
12 विविध शैक्षिक खर्च	13,11,732	9,01,503
कुल योग	17,69,35,707	13,15,03,249

मधुकर क०
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मधुकर क०
परामर्शदाता (लेखा)

शं.प.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
	कुल	कुल
क. अवसंरचना		
I) किराया, उपकर एवं कर	15,03,77,940	15,03,75,992
II) विद्युत खर्च	15,57,89,044	18,73,15,471
III) जल खर्च	3,84,95,625	7,69,97,067
IV) सुरक्षा खर्च	15,41,32,306	16,26,48,763
V) जेनरेटर संचालन खर्च	3,00,157	2,00,000
VI) ई-गवर्नेंस	36,61,805	50,93,344
VII) एनए कैम्पस का किराया	16,00,949	-
ख. संचार		
I) डाक खर्च एवं तार	2,86,844	1,74,354
II) टेलीफोन एवं फैक्स	14,10,787	14,08,120
III) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	120,893	39,641
ग. अन्य		
I) प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री (उपभोग)	37,45,105	25,72,953
II) समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं	3,62,448	5,579
III) सत्कार खर्च	14,58,473	4,90,368
IV) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता	-	-
V) श्रम प्रभार, दैनिक मजदरी एवं ठेका श्रम	17,88,95,513	17,50,90,040
VI) स्थानीय सवारी	2,71,214	4,87,470
VII) संरक्षण खर्च	2,57,46,212	3,01,71,945
VIII) वर्दी	50,093	960
IX) फोटोकॉपी प्रभार	1,05,560	1,10,718
X) शैक्षिक संस्थानों को दिए गए अभिदान	3,67,749	2,37,620
XI) सलाहकार समितियों आदि के सदस्यों को यात्रा भत्ता	12,59,210	5,71,750
XII) विज्ञापन एवं प्रचार	1,87,762	2,39,251
XIII) कानूनी खर्च	19,78,270	7,46,293
XIV) कुलपति विवेक निधि में अंशदान आदि	-	-
XV) वार्षिक दिवस समारोह	-	-
XVI) अन्य विविध प्रशासनिक खर्च	9,91,101	-
कुल	72,15,95,060	79,49,77,699

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामशदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 17 - परिवहन खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
1 वाहन(संस्था के स्वामीत्वाधीन)		
क) संचालन खर्च	6,19,652	3,15,707
ख) मरम्मत एवं रखरखाव	,19,999	4,10,968
ग) बीमा खर्च	1,18,474	69,386
2 किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन		
क) किराया/पट्टा खर्च	-	-
3 वाहन (टैक्सी) किराया खर्च	-	20,098
कुल	7,58,125	8,16,159

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 18 - मरम्मत एवं रखरखाव

राशि (रु.) में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
क) साफ-सफाई सामग्री एवं सेवाएं	19,15,781	16,77,260
ख) बागवानी	1,00,989	32,426
ग) भवनों का रखरखाव	1,74,90,291	8,76,492
घ) संपदा का रखरखाव	47,64,999	1,11,29,491
ङ) कार्यालयी उपकरणों का रखरखाव	1,41,53,093	34,96,993
च) कंप्यूटरों का रखरखाव	1,07,99,940	78,38,800
छ) फर्नीचर एवं जुड़नार का रखरखाव	3,64,656	42,493
ज) प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव	36,70,528	4,99,491
झ) जिल्दसाजी प्रभार	,58,963	-
ञ) ट्यूबवेल का रखरखाव एवं पानी की आपूर्ति	2,40,688	28,871
ट) ऑडियो विजुअल उपकरणों का रखरखाव	16,225	-
कुल योग	5,35,76,153	2,56,22,317

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी


अनुसूची 19 - वित्त लागत


राशि रु. में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2022-23	2021-22
		कुल	कुल
क)	बैंक प्रभार	20,41,711	14,62,296
ख)	अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल		20,41,711	14,62,296


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


परामर्शदाता (लेखा)



संयुक्त कुलसचिव (वित्त)



वित्त अधिकारी


अनुसूची 20 - अन्य खर्च


राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
	कुल	कुल
क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
ख) लावसूल शेष राशि बढ़ा खाता	-	-
ग) अन्य संस्थाओं / संगठनों को दी गई अनुदान राशियां / सहायिकियां	-	-
घ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
1. परिसंपत्ति की बिक्री / निपटान पर हुआ नुकसान	32,696	67,572
2. अन्य विविध प्रशासनिक खर्च	5,47,815	26,27,731
कुल	5,80,511	26,95,303


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


परामर्शदाता (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 21 – पूर्व अवधि खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2022-23	2021-22
	कुल	कुल
1. स्थापना खर्च	28,54,947	24,96,797
2. शैक्षिक खर्च	1,13,29,277	1,11,87,214
3. प्रशासनिक खर्च	4,39,49,649	3,37,28,819
4. परिवहन खर्च	-	78,735
5. मरम्मत एवं रखरखाव खर्च	1,06,06,928	52,67,603
कुल	6,87,40,801	5,27,59,168

मधुकर को
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मधुकर को
परामर्शदाता (लेखा)

श्री. अ.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुनील कुमार
वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की अनुसूचियां



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

अनुसूची: 22

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने का आधार

इन लेखाओं को, जब तक अन्यथा कुछ कहा न जाए, परंपरागत लागत परिपाटी (हिस्टॉरिकल कॉस्ट कनवेंशन) के अंतर्गत और सामान्यतः लेखाकरण की प्रोदभूत पद्धति (एक्युअल मैथड) के आधार पर तैयार किया जाता है।

2. राजस्व पहचान

- 2.1 छात्रों से प्राप्त फीस (ट्यूशन फीस को छोड़कर), प्रवेश फार्मों की बिक्री, रॉयल्टी और बचत बैंक खाता पर ब्याज को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। प्रत्येक सत्र में अलग से एकत्र की गई ट्यूशन फीस को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति पर आय तथा निवेशों (अक्षय निधि को छोड़कर) पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। अधिकतर व्यक्तिगत अक्षय निधि के लिए निवेश कम होता है तथा इसके अलावा, प्रोदभूत ब्याज के साथ आय को दर्शाने पर उस सही राशि का पता नहीं चलता जो निधि विशेष के अन्तर्गत उन उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु वास्तविक रूप में उपलब्ध है।
- 2.3 स्टाफ सदस्यों को गृह निर्माण, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों पर ब्याज अग्रिम पर ब्याज को प्रत्येक वर्ष प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि, ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्ति और मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसम्पत्ति को आवक-भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण, संस्थापन तथा चालू होने से संबंधित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके अधिग्रहण की लागत पर निर्धारित की जाती है।
- 3.2 उपहार/दान स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्ति का मूल्यन, घोषित मूल्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, पर किया जाता है; यदि यह मूल्य उपलब्ध न हो तो परिसम्पत्ति के मूल्य का अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य और उसकी वास्तविक दशा के आधार पर लगाया जाता है। इन परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- 3.3 उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्यन उन पर अंकित विक्रय-मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहां मूल्य अंकित नहीं है, वहाँ आकलन के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है।
- 3.4 स्थायी परिसम्पत्ति का मूल्यन, उनकी लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है:

मूर्त परिसंपत्ति

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	सड़क और पुल	2%
5.	नलकूप और जलापूर्ति	2%
6.	सीवर और जल निकासी	2%
7.	विद्युत संस्थापन तथा उपकरण	5%
8.	संयंत्र और मशीनरी	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%

10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफरल्स	20%
13.	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय की पुस्तकें और वैज्ञानिक शोध-पत्रिकाएं	10%

अमूर्त परिसंपत्ति (ऋण-मुक्ति)

1.	ई-शोध पत्रिकाएं	40%
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट और कॉपीराइट	9 वर्ष

- 3.5 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों (additions) पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.6 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यहास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन-पत्र में 1 रु. के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यहास नहीं होगा। इसके बाद, मूल्यहास की गणना उस परिसम्पत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर से प्रत्येक वर्ष के परिवर्धनों पर प्रथक रूप से की जाती है।
- 3.7 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजनाओं की निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्ति, जहां इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्ति पर लागू दर से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजना धनराशि में से सृजित की गई उन परिसम्पत्ति, जिनका स्वामित्व प्रायोजक के पास है, परन्तु परिसम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा धारित हैं और वह इनका उपयोग करता है, का विवरण लेखा नोट में अलग से किया जाता है।
- 3.8 ऐसी परिसम्पत्ति जिनका प्रत्येक का पृथक मूल्य रु. 2000 या इससे कम (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) है, इनको 01.04.2010 से लघु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ माना जाता है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय इन पर

100 प्रतिशत मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण धारक द्वारा जारी रहता है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

- 4.1 **पेटेंट:** पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किया गया खर्च (आवेदन शुल्क, विधिक खर्च आदि) अस्थायी रूप से पंजीकृत किया जाता है और इसे तुलनपत्र में अलग शीर्ष के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट के लिए आवेदन रद्द हो जाता है तो जिस वर्ष में आवेदन-पत्र रद्द हुआ है उसमें पेटेंट विशेष पर खर्च किए गए संचयी व्यय को आय-व्यय खाते में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। पेटेंट के लिए खर्च को संरक्षणशील आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते कर दिया जाता है।
- 4.2 **इलेक्ट्रॉनिक शोध-पत्रिकाएँ (ई-शोध-पत्रिकाएँ):** को ऑनलाइन एक्सेस से प्राप्त सीमित लाभों के ध्यानार्थ पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है। यद्यपि, ई-पत्रिकाओं का कोई मूर्त आकार नहीं होता, अतः इनका अस्थाई रूप से पूंजीकरण इस पर हुए खर्च और शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा अर्जित निरन्तर ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों के संबंध में उपलब्ध 10% मूल्यहास की तुलना में ई-पत्रिकाओं के संबंध में 40% मूल्यहास की उच्चतर दर उपलब्ध कराई जाती है।
- 4.3 **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर:** सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए खर्च को कंप्यूटरों और पेरिफरल्स से अलग किया गया है, क्योंकि ये अमूर्त रूप में होने के अतिरिक्त जल्दी ही अप्रचलित हो जाते हैं। कंप्यूटर और पेरिफरल्स के लिए मूल्यहास की 20% दर की तुलना में सॉफ्टवेयर के लिए मूल्यहास की दर 40% होती है।
- 4.4 **शोध-पत्रिकाओं की सदस्यता:** एक वर्ष या कम अवधि के लिए एकल भुगतान में एक से अधिक शोध-पत्रिका की अभिदान राशि जो मौजूदा वर्ष में भिन्न-भिन्न प्रकार से अतिव्याप्त (ओवरलैप) होती है, उसे मौजूदा वर्ष के खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है।

5. स्टॉक

रसायनों, कांच के बर्तनों, प्रकाशन सामग्री और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि को राजस्व खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को संस्थानों और विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तदनुसूची राजस्व खर्च को कम करते हुए वस्तु-सूची के रूप में अंतिम स्टॉक की कीमत निर्धारित की जाती है।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी-नकदीकरण बीमांकिक मूल्यन के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेलन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर जेएनयू कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को भी पेंशन खाता के लिए प्रावधान में क्रेडिट कर दिया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ जैसे - जमा राशि संबद्ध बीमा योजना, नई पेंशन योजना अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के समय गृह नगर के लिए यात्रा का लेखा-जोखा प्रोदभूत आधार (वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक भुगतान व बकाया बिल) पर रखा जाता है।

7. निवेश

- 7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किए जाते हैं। तथापि, तुलनपत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में हुई स्थायी कमी को दर्शाया जाता है।
- 7.2 लघु अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि दर बताई गई हो), जो भी कम हों, पर किए जाते हैं।
- 7.3 बचत बैंक खाते ऑटो स्वीप फेसिलिटी वाले खाते हैं। इनमें समयावधि के अनुसार ब्याज लगता रहता है जिसके लिए समय-समय पर धनराशि ऑटो स्वीप हो जाती है। ऐसे बचत बैंक खातों से ब्याज की आय को रिसीट आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

8. उद्दिष्ट/अक्षय निधि

निम्नलिखित दीर्घकालिक धनराशि को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्यधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बॉण्ड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता है। निवेश/अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन) से प्रोदभूत आधार पर प्राप्त आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को संबंधित धनराशि में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम धनराशि के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। उद्दिष्ट धनराशि में से सृजित परिसम्पत्ति (जैसे एक्जिम बैंक पुस्तकालय - भवन और पुस्तकें) को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में मिला दिया जाता है। संबंधित धनराशि में शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्ति के कॉलम में बैंक में शेष, निवेश और प्रोदभूत ब्याज (मौजूदा परिसम्पत्ति) के द्वारा दर्शाया जाता है।

8.1 **कायिक निधि:** समग्र निधि की शुरुआत वर्ष 1996-97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा और शोध परियोजनाओं से अंशदान को समग्र निधि का परिवर्धन माना जाता है। यूजीसी से समान अंशदान राशि केवल वर्ष 2006-07 तक प्राप्त हुई थी।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर समग्र निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत खर्च के लिए किया जाता है। समग्र निधि में से सृजित परिसम्पत्ति का पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। समग्र निधि में से अग्रणीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, भारतीय रिज़र्व बैंक के बॉण्ड्स में निवेश और बैंक में आवधिक जमा तथा निवेश (वर्तमान परिसम्पत्ति) पर प्रोदभूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

8.2 शैक्षिक विकास निधि:

इस निधि की शुरुआत 1 फरवरी 2006 को हुई थी। इसका उपयोग समय-समय पर कार्य परिषद्(ईसी) द्वारा निर्धारित कुछ नवाचार (इनोवेटिव) कार्यक्रमों, शोध कार्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के निर्वाह के लिए किया जाता है।

8.3 गृह निर्माण अग्रिम निधि:

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों के लिए परिक्रामी (रिवाल्विंग) निधि है।

8.4 निप्पन फाउंडेशन निधि:

निप्पन फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई दस लाख यूएस डालर की निधि दो भाग में थी। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में किया गया, और अर्जित ब्याज को उस भाग में जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में किया गया परन्तु उस पर अर्जित ब्याज को भारतीय स्टेट बैंक, जेएनयू शाखा में निधि (सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों में अध्ययन करने वाले बकाया छात्रों को अध्येतावृत्तियां) की मदों पर खर्च का वहन करने हेतु तिमाही आधार पर अंतरित किया गया। 23 सितंबर 2013 को दोनों भाग इकट्ठे किए गए तथा एक अंश एसबीआइ, जेएनयू शाखा (एफसीआरए खाता) में अंतरित किया गया और दूसरे अंश को बहरीन रखा गया और आधार पर निवेश किया गया। एसबीआइ जेएनयू को अंतरित अंश को भारतीय स्टेट बैंक के साथ तीन मियादी जमा में परिवर्तित किया गया है। इस निधि की मद पर हुए खर्च का वहन बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किए जा रहे मियादी जमा के तिमाही ब्याज से किया जाता है।

8.5 यूजीसी - जेआरएफ निधि:

यह निधि कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

8.6 वाहन (सवारी) निधि:

यह निधि कार, दुपहिया वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान हेतु परिक्रामी (रिवालिंग) निधि है।

8.7 एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि:

यह निधि एग्जिम बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गई है।

8.8 अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी निधि केंद्र:

यह निधि मानव जिनोमिक्स और सम्बद्ध विषयों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व भागीदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

8.9 राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि:

यह निधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

8.10 अलुमनी अक्षय निधि:

अलुमनी अक्षय निधि की स्थापना दिनांक: 17.12.2019 को हुए अतिथियों के सम्मेलन में हुई चर्चा के अनुपालन में की गई। महामहिम राष्ट्रपति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक केंद्रीय वित्त पोषित उच्च अध्ययन संस्थान में आईआईटी की तर्ज पर अलुमनी अक्षय निधि की स्थापना होनी चाहिए। जो निधि जेएनयू अलुमनी से प्राप्त होती है उसका उपयोग विश्वविद्यालय की वृद्धि एवं विकास के लिए किया जाता है।

8.11 अक्षय निधि:

अक्षय निधि ऐसी धनराशि है जो दाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर पीठ (चेयर) स्थापित करने, पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती है। प्रत्येक अक्षय निधि का अपना अलग से निवेश किया जाता है। सभी अक्षय धनराशि के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य होते हैं। पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्तियों पर हुए खर्च का वहन निवेश पर अर्जित ब्याज से ही किया जा सकता है। तथापि, पीठ (चेयर्स) पर हुए खर्च का वहन निधि (अर्जित ब्याज और उसे वापस निधि में जोड़ने सहित) से किया जाता है।

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी अक्षय धनराशि में वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के अन्त शेष के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। पीठ (चेयर), पदक और पुरस्कारों पर खर्च राशि को संबंधित अक्षय धनराशि में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है। शेष को आर.बी.आई. बॉण्ड और आवधिक जमा में निवेश और सभी अक्षय के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

9. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि

- 9.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों को नकदीकरण के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। फिर भी, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान को जारी करने के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो इस अनुदान को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा इसके समान राशि अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दर्शायी जाती है।
- 9.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है।
- 9.3 राजस्व खर्च वहन के लिए सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर), किए गए उपयोग की सीमा तक, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।
- 9.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रणीत कर दिया जाता है और तुलन-पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

10. उद्दिष्ट/धनराशि का निवेश और इन निवेशों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय:

इन धनराशि में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बॉण्ड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।


इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोदभूत एवं देय ब्याज तथा प्रोदभूत एवं अदेय ब्याज को संबंधित धनराशि में जोड़ दिया जाता है और उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।


11. प्रायोजित परियोजनाएं


- 11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - वर्तमान देयताएं - अन्य देयताएं - चालू प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। जब कभी इन परियोजनाओं की राशि में से खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या संबंधित परियोजना खाते को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो देयता खाता को डेबिट कर दिया जाता है।
- 11.2 कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों (जेआरआफ) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।
- 11.3 विश्वविद्यालय स्वयं भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।


12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। अतः लेखाओं में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


परामर्शदाता (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची: 23

आकस्मिक देयताएं और लेखा नोट

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों, ठेकेदारों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 177 मुकदमों (पिछले वर्ष 180) और ठेकेदारों के साथ माध्यस्थता मामले निर्णय के लिए लंबित थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों में स्थापना-अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि से संबंधित थे। इन दावों की प्रमाणा की राशि का पता लगाना संभव नहीं है। मुकदमों और माध्यस्थता मामलों में ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों की राशि दस लाख व ब्याज (पिछले वर्ष राशि शून्य) रही।
- 1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र (लैटर्स ऑफ क्रेडिट) और 31.03.23 को बकाया राशि 62.54 लाख थी (पिछले वर्ष में यह राशि 98.48 करोड़ थी)।
- 1.3 संकाय सदस्यों के लिए कैरियर एडवांस स्कीम हेतु पिछली सेवा की गणना के लिए गठित जेएनयू समिति द्वारा समीक्षा किए गए मामलों से संबंधित मसला शिक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण के अभाव में लंबित है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष ठेकों की लागत और जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए (अग्रिमों की निवल) की राशि 84.40 करोड़ रु. रही। (पिछले वर्ष में यह राशि 63.81 करोड़ रु. थी)

3. स्थायी परिसम्पत्ति

- 3.1 वर्ष 2022-23 में अनुसूची 4 की स्थायी परिसम्पत्ति में हुए परिवर्धन में योजनागत अनुदान एवं विश्वविद्यालय निधि 19,17,21,618/-रु., शैक्षिक विकास निधि (81,10,587/-रु.), अक्षय निधि (39,350/-रु.) प्रायोजित अध्येतावृत्ति/परियोजनाएं (9,71,943/-रु.) जमा राशि (5,680/-रु.) और विश्वविद्यालय को उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय

पुस्तकें और अन्य परिसंपत्ति से खरीदी गई 3,98,420/- राशि की परिसम्पत्ति शामिल हैं। ये परिसम्पत्ति पूंजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा स्थापित की गई हैं।

3.2 अनुसूची 5 में दर्शायी गई स्थायी परिसम्पत्तियों में वे परिसम्पत्ति शामिल नहीं हैं जिनकी खरीद प्रायोजित परियोजना धनराशि में से की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा धारित हैं तथा इसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं क्योंकि परियोजना संविदाओं में शामिल अनुबंधों के अनुसार परियोजना धनराशि में से खरीदी गई सभी परिसम्पत्ति प्रायोजकों की संपत्ति रहेंगी।

ऐसी परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

परिसम्पत्ति	01.04.2022 को वास्तविक लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रु.)	कुल (रु.)	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के लिए कल्पित मूल्यहास (रु.)	कुल मूल्यहास	31.03.2023 को कुल बुक मूल्य (रु.)
प्रयोगशाला उपकरण	1,07,16,71,600	4,44,18,087	1,11,60,89,687	61,71,63,420	8,92,87,175	70,64,50,595	40,96,39,092
कंप्यूटर	2,29,91,086	57,32,405	2,87,23,491	2,29,91,085	57,32,405	2,87,23,490	1
विद्युत व अन्य उपकरण	71,57,967	48,95,161	1,20,53,128	16,52,733	6,02,656	22,55,389	97,97,739

3.3 विश्वविद्यालय ने कुल 1011.45 एकड़ भूमि में से 159.13 एकड़ भूमि आईसीसीएसएसआर, एनआईआई, केवीएस, एनएससी/आईयूएसी, डेलनेट, यूजीसी, एआईसीटीई, आईआईएमसी, आईसीजीईबी, डीवीबी तथा एनआईपीजीआर को पट्टा आधार पर दी हुई है। भवनों तथा भवन बने हुए एरिया और उनके आस-पास के एरिया पर स्वामित्व का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

1. **पेटेंट** - वर्ष 2011-12 के दौरान पहली बार पेटेंट पर खर्च के संबंध में लेखाकरण नीति तैयार की गई है। वर्ष 2008-2009 और 2010-2011 के दौरान मंजूर हुए पेटेंट पर खर्च की गई राशि और 31.03.2011 के अनुसार लंबित पेटेंट के आवेदनों पर खर्च को वर्ष 2011-2012 के लेखाओं में पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए स्थापित किया गया। वर्ष 2013-14 से 2022-23 में खर्च की गई राशि को सीधे शीर्ष में डेबिट कर दिया गया है। पेटेंट्स पर ऋणमुक्ति को शैक्षिक खर्च के अंग के रूप में सृजित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान पेटेंट्स पर ऋणमुक्ति जो 1,28,195/-रु. की राशि का है, अन्य खर्च का हिस्सा है न कि आय एवं व्यय लेखा का मूल्यहास है।
2. **अनुदान** - विश्वविद्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में एकल राजकोष खाता (टीएसए) प्रणाली को अपनाया है। स्वायत्त निकायों (एबी) के लिए टीएसए प्रणाली का उद्देश्य स्वायत्त निकायों को सरकारी अनुदान 'उचित समय पर' जारी करना तथा स्वायत्त निकाय के पास धन की पार्किंग से बचना है। इससे एकमुश्त नकद अंतरण से भी बचा जा सकेगा तथा जरूरत पड़ने पर सरकारी खाते से आहरण की सुविधा मिल सकेगी। विश्वविद्यालय में वर्तमान में टीएसए प्रणाली के तहत पांच लेखा/रोकड़ बहियां हैं।
3. **जमा देयताएं** - वित्त वर्ष 2020-21 से पहले बयाना राशि(EMD) और जमानत राशि के रूप में 5,39,383/-रु. की बकाया राशि को अदावी जमा के रूप में राजस्व खाते में ट्रांसफर कर दिया गया तथा वर्ष 2022-23 में विविध आय के रूप में दर्शाया गया।

4. **निष्पन्न फाउंडेशन निधि** - वर्ष 2013-14 में इस निधि के लिए लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया गया था। दिनांक: 23-09-2013 तक समग्र निधि का निवेश बहरीन देश में किया गया। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का अलग से निवेश किया गया तथा अर्जित ब्याज को जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश किया गया। परन्तु ब्याज प्रत्येक तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक के जेएनयू के खाते में अंतरित किया गया। इसे छात्रों को अध्येतावृत्ति के खर्च के लिए प्रयोग किया गया। 24.09.2013 को 3,00,000 यूएस डॉलर भारतीय स्टेट बैंक में जेएनयू के खाते में अंतरित किए गए (रु. 1,86,94,500/- के समकक्ष) तथा 8,12,476.29 यूएस डॉलर (समग्र यूएस डॉलर 7,00,000+यूएस डॉलर 1,12,476.79 का ब्याज) भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन देश में मियादी जमा (FD) रखा गया। वर्ष 2013-14 में बचत खाता शेष में से रु. 13,05,500/- की बचत खाता राशि के साथ रु. 1,86,94,500/- की राशि को 70 लाख, 70 लाख और 60 लाख की 3 मियादी जमा (Term Deposit) में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी जमा राशि पर तिमाही ब्याज को अध्येतावृत्तियों के संवितरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किया जाता है।
5. **सेवानिवृत्ति हितलाभ** - वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार योजनागत पदों के लिए भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति हितलाभ और स्थापना खर्च को केवल योजनागत अनुदानों में ही डेबिट किया गया है। पेंशन, उपदान व छुट्टी नकदीकरण हितलाभ भारत सरकार/उपदान भुगतान अधिनियम विश्वविद्यालय नियमानुसार शासित किए जाते हैं।
6. **वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम** - प्रबंधन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिमों का सामान्यतः नकदीकरण करने पर जो मूल्य होता है वह कम से कम तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में दर्शाए गए कुल मूल्य के बराबर होता है।
- 6.1 किसी विशेष समय धनराशि के अभाव में तथा अपरिहार्य प्रतिबद्धता देयताओं के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय अस्थायी व्यवस्था करता है तथा एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का अंतरण करता है। यूजीसी से अनुदान राशि प्राप्त हो जाने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति (पुनः प्राप्ति) की जाती है। यूजीसी से अनुदान राशि के प्राप्त न होने के कारण प्रतिपूर्ति न किए जाने वाली धनराशि के अंतरण को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मौजूदा परिसंपत्ति ऋण अग्रिम तथा मौजूदा देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. बचत बैंक खाता, चालू खाता (पेंशन) और बैंक में मियादी जमा खातों में शेष राशि के विवरण अनुसूची 7 में संलग्न 'ए' में दिए गए हैं। ऑनलाइन फीस के संग्रहण के लिए चार बैंक खाते खोले गए।
8. पिछले वर्षों के आंकड़ों का यथावश्यक पुनर्वर्गीकरण किया गया है।
9. अंतिम लेखाओं में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।
10. अनुसूची 1 से 23 प्राप्तियां और भुगतान खाता इसके साथ संलग्न हैं और यह 31 मार्च 2023 के तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।
11. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)ने विश्वविद्यालय के पक्ष में भूमि आबंटन पत्र अभी तक जारी नहीं किया है। तथापि, विश्वविद्यालय ने प्राधिकरण को संगत विवरण/दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं।
12. जेएनयू परिसर में कंपनी अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाहन अटल इंक्युबेशन सेंटर (एआईसी) - जेएनयूएफआई केंद्र की स्थापना की गई है।
13. चूँकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता का स्वामित्व इस धनराशि के सदस्यों के पास होता है, न कि विश्वविद्यालय के पास। अतः वर्ष 2004-2005 से इन खातों को विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। तथापि, प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता (प्रोदभूत आधार पर) और भविष्य निधि खाता के तुलनपत्र के साथ-साथ वर्ष 2022-23 के लिए नई पेंशन योजना के तुलन-पत्र (बैलेंस-सीट) विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है। पीआरए नम्बर आबंटित 780 कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा हिस्सा (112.02 करोड़ रु.) 31 मार्च 2023 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)-सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को अंतरित कर दिया गया है।

13. विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय के दिनांक: 17 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. 29-4/2012-आईएफडी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संशोधित लेखा-प्रपत्र को अंगीकृत कर लिया है।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

2015-16

सं. 29-4/2012-आईएफडी

ए.एस. शर्मा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आदि शेष			I. व्यय:		
क) हाथ रोकड़	5,33,655	7,34,852	क) स्थापना	34,85,56,208	31,83,78,418
ख) बैंक शेष			ख) शैक्षिक	17,17,46,262	12,66,66,828
चालू खातों में	3,70,30,300	12,60,596	ग) प्रशासनिक	67,48,46,957	73,61,26,430
बचत खातों में	1,70,92,35,609	1,53,99,39,235	घ) परिवहन खर्च	6,82,410	2,28,50,194
II. प्राप्त की गई अनुदान राशि	5,31,33,88,911	4,17,66,49,445	ङ) मरम्मत एवं रखरखाव	3,71,41,668	5,08,90,756
III. शैक्षिक प्राप्तियां	7,12,53,502	5,50,03,411	च) वित्त खर्च	20,41,711	7,69,677
IV. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त प्राप्तियां	20,29,33,044	13,62,94,648	छ) पूर्वाविधि खर्च	6,38,12,989	14,62,296
V. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त प्राप्तियां	43,94,80,912	33,12,34,193	ज) अन्य खर्च	4,19,620	-
VI. प्रायाजित अध्येतावृत्तिया / छात्रवृत्तिया क नामित प्राप्तिया	11,03,24,801	15,28,50,479	II. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त भुगतान	58,28,74,991	2,07,62,840
VII. निवेश से आय	2,05,14,582	2,32,20,285	III. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त भुगतान	42,32,39,245	27,88,06,631
VIII. प्राप्त व्याज	23,78,806	19,67,558	IV. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों / छात्रवृत्तियों के निमित्त भुगतान	12,77,13,367	14,83,52,836
IX. निवेश	4,03,42,43,637	2,83,65,01,045	V. निवेश	3,68,72,87,472	3,00,74,01,045
X. अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा	11,36,92,45,539	10,18,96,30,406	VI. आधसूचित बंका म सावाधि जमा	11,75,26,41,847	10,05,61,81,353
XI. अन्य आय	11,02,09,497	13,70,19,413	VII. स्थायी परिसंपत्ति तथा चालू पूंजीगत कार्य पर खर्च	6,23,85,016	4,69,92,701
XII. जमा राशि एवं अग्रिम	31,40,43,181	22,60,30,347	VIII. वैधानिक भुगतान सहित अन्य भुगतान	2,38,68,89,729	2,57,48,518
XIII. वैधानिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां	22,36,23,039	24,95,08,294	IX. लौटाई गई अनुदान राशि	22,15,43,651	5,85,72,410
XIV. अन्य प्राप्तियां [वर्तमान परिसंपत्ति (प्राप्य)]	1,14,85,153	2,07,10,256	X. जमा राशि एवं अग्रिम	71,31,43,393	33,43,30,731
			XI. अन्य भुगतान		
			क) वेतन संबंधी भुगतान	1,17,93,86,636	3,09,74,61,234
			XII. अंत शेष		
			क) हस्त रोकड़	3,45,816	5,33,655
			ख) बैंक शेष		
			चालू खातों में	8,37,86,983	3,70,30,300
			बचत खातों में	1,44,94,38,199	1,70,92,35,609
कुल	23,96,99,24,168	20,07,85,54,462	कुल	23,96,99,24,168	20,07,85,54,462

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि रु. में

राशि 31 मार्च 22	देयता	राशि 31 मार्च 23	राशि 31 मार्च 22	परिसंपत्ति	राशि 31 मार्च 23
1,44,97,44,146	<u>सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)</u> आदि शेष 1,44,97,44,146 घटा: मार्च, 2022 का अभिदान 1,61,92,648 1,43,35,51,498 जमा: वर्ष भर का अभिदान 20,71,29,066 जमा: मार्च, 2023 का अभिदान 1,38,26,408 जमा: जमा किया गया ब्याज 9,78,77,656 घटा: अग्रिम / निकासी 27,87,07,937	1,47,36,76,691	1,41,95,51,732	<u>निवेश</u> 31/03/2022 को निवेश 1,41,95,51,732 जमा: वर्ष के दौरान निवेश 16,45,50,000 घटा: वर्ष के दौरान नकदीकृत निवेश 9,69,35,760	1,48,71,65,972
14,88,87,696	<u>अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ)</u> आदि शेष 14,88,87,696 घटा: मार्च, 2022 का अभिदान 12,95,256 14,75,92,440 जमा: वर्ष भर का अभिदान 1,54,93,099 जमा: मार्च, 2023 का अभिदान 10,69,825 जमा: जमा किया गया ब्याज 79,47,357 घटा: अग्रिम / निकासी 2,10,13,739	15,10,88,982	25,36,80,523	<u>प्रोदभूत अशोध्य ब्याज</u> 31-03-2022 को प्रोदभूत ब्याज 25,36,80,523 जमा: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज 7,44,12,594 घटा: मार्च 2022 को प्रोदभूत ब्याज 7,14,78,278	25,66,14,839
10,00,52,445	<u>विश्वविद्यालय का अंशदान</u> आदि शेष 10,00,52,445 घटा: मार्च, 2022 का अभिदान 5,26,120 9,95,26,325 जमा: वर्ष भर का अभिदान 65,47,408 जमा: मार्च, 2023 का अभिदान 4,55,960 जमा: जमा किया गया ब्याज 66,45,568 घटा: अग्रिम / निकासी 42,05,394	10,89,69,867	1,80,14,024	मार्च, 2023 के लिए देय अभिदान सामान्य भविष्य निधि 1,38,26,408 अंशदायी भविष्य निधि 10,69,825 विश्वविद्यालय अंशदान 4,55,960	1,53,52,193
67,81,667	रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान सीवीपी आदि	61,81,667	3,43,144	ऑटो स्वीप निवेश	25,18,159
5,69,47,835	<u>आरोक्षत ब्याज</u> आदि शेष 5,69,47,835 जमा: खर्च से आय की अधिकता 19,50,935	5,49,96,900	1,47,70,763	लंबित धन-वापसी पर वसूला गया ब्याज आयकर से आरंभिक घटा: प्राप्त कर 2,29,70,452 60,73,111	-
1,76,24,13,789	कुल	1,79,49,14,107	5,60,53,603	हस्त रोकड़ - <u>बैंक शेष</u> एसबीआई, जेएनयू शाखा-1 1,56,41,066 एसबीआई, जेएनयू शाखा-2 7,07,500 आइसीआइसीआइ बैंक 17,037	1,68,97,341
1,76,24,13,789	कुल	1,79,49,14,107	कुल	कुल	1,79,49,14,107

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

राशि रु. में

राशि 31 मार्च 22	खर्च	राशि 31 मार्च 23	राशि 31 मार्च 22	आय	राशि 31 मार्च 23
1,416	बैंक प्रभार	11,210	8,91,31,614	निवेश पर अर्जित ब्याज तथा ऑटो स्वीप	10,31,12,187
	ब्याज निम्नलिखित में जमा किया गया:			जमा: मार्च 2023 को प्रोदभूत ब्याज	7,44,12,594
9,60,11,804	जीपीएफ खाता	9,78,77,656		जमा: संचयी ब्याज पर टीडीएस की कटौती	44,84,353
1,02,14,930	सीपीएफ खाता	79,47,357		घटा: मार्च 2022 के लिए प्रोदभूत ब्याज	7,14,78,278
76,20,706	विश्वविद्यालय अंशदान	66,45,568			
-	व्यय से आय की अधिकता	-	2,47,17,242	घाटा (आय से व्यय की अधिकता)	19,50,935
11,38,48,856	कुल	11,24,81,791	11,38,48,856	कुल	11,24,81,791

मिंसो
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

म.प.म.
परामर्शदाता (लेखा)

सं.स.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमत कुमार
वित्त अधिकारी

भाविष्य निधि खाता
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

राशि रु. में

पिछला वर्ष	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
	01/04/2022 को आदि शेष		25,00,90,254	जीपीएफ अग्रिम / निकासी	27,87,07,937
	एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	5.37.94.412	3,41,71,361	सीपीएफ अग्रिम / निकासी	2,10,13,739
	एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	6.88.716	87,69,400	विश्वविद्यालय अंशदान	42,05,394
8,71,80,571	आईसीआईसीआई बैंक	15.70.475	5,60,53,603	1,416 बैंक प्रभार	1,416
4,69,55,539	31.03.2022 को ऑटोस्वीप		3,43,144	12,90,00,000 वर्ष के दौरान निवेश	16,45,50,000
	जीपीएफ अभिदान	20.63.99.066	3,43,144	ऑटोस्वीप बैलेंस 31.03.2023 तक	25,18,159
	सीपीएफ अभिदान	1.54.93.099	51,32,852	ऑटोस्वीप पर टीडीएस की कटौती	37,15,336
22,48,35,639	विश्वविद्यालय का अंशदान	65.47.408	22,84,39,573	रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान, सीवीपी आदि	1,21,16,514
5,00,00,000	निवेश का नकदीकरण		9,69,25,966	31/03/2023 को अंत शेष	
	प्राप्त ब्याज	10.28.13.883	10,31,12,187	एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	1,56.41.066
7,26,88,480	ऑटो स्वीप पर प्राप्त ब्याज	2.98.304	5,60,53,603	एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	7,07.500
	प्राप्त आयकर		60,73,111	आईसीआईसीआई बैंक	17,037
75,96,545	रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान, सीवीपी आदि		1,22,46,514		
48,92,56,774	कुल	50,31,94,098	48,92,56,774	कुल	50,31,94,098

मिडको
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता
परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमत कुमार
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि रु. में

राशि 31 मार्च 22	देयता	राशि 31 मार्च 23	राशि 31 मार्च 22	परिसंपत्ति	राशि 31 मार्च 23	
6,04,368	एनपीएस टियर-1 खाता आदि शेष घटा: मार्च, 2022 का अभिदान+वि.वि. अंशदान जमा: वर्ष के दौरान अभिदान+वि.वि. अंशदान जमा: अभिदाता के खाते में जमा ब्याज घटा: एनएसडीएल को अंतरित जमा: मार्च 2022 का अभिदान+वि.वि. अंशदान	6,04,368 - 6,04,368 - - - - 6,04,368	6,04,368	एनपीएस टियर-1 खाता - मार्च 23 के लिए देय अभिदान ऑटो स्वीप खाता: आदि शेष घटा: स्वीप डेबिटेड जमा: ऑटो स्वीप पर ब्याज का पुनर्निवेश - 31.03.2023 को ऑटो स्वीप पर प्रोदभूत ब्याज आयकर विभाग से रिफंड होने तक ब्याज पर वसूला गया कर घटा: प्राप्त कर बैंक शेष	- 92,23,358 - 92,23,358 - - 36,290 36,290 - 23,74,377	92,23,358 98,610 - 23,74,377
1,10,75,325	कुल	1,16,96,345	1,10,75,325	कुल	1,16,96,345	

मार्क को
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता
परामर्शदाता (लेखा)

श्री. अ.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
वित्त वर्ष 2022-23 का आय तथा व्यय खाता

राशि रु. में

राशि 31 मार्च 22	व्यय	राशि 31 मार्च 23	राशि 31 मार्च 22	आय	राशि 31 मार्च 23
4,54,648	- बैंक चार्ज व्यय से आय की अधिकता	590 6,21,020	4,54,648	बचत एवं ऑटो स्वीप खाते पर अर्जित ब्याज	5,23,000
				जमा: 31-03-2023 को स्वीप खाते पर प्रोदभूत ब्याज	98610
					6,21,610
				घटा: 31.03.2022 को प्रोदभूत ब्याज	-
4,54,648	कुल	6,21,610	4,54,648	कुल	6,21,610

अनुभाग
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता
परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान

पिछला वर्ष	प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	राशि रु. में
					चालू वर्ष
				0 बैंक चार्ज	590.00
12,84,323	01.04.2022 को आदि शेष	18,15,677	92,23,358	ऑटो स्वीप निवेश	92,23,358
92,23,358	31.02.2023 को ऑटो स्वीप	92,23,358	18,15,677	31.03.2023 को अंत शेष	23,74,377
37,509	बचत खाते के संचालन पर प्राप्त ब्याज	53,111			
-	प्राप्त कर	36,290			
4,93,845	ऑटो स्वीप निवेश पर ब्याज	4,69,889			
1,10,39,035	कुल	1,15,98,325	1,10,39,035	कुल	1,15,98,325

अनुभाग
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

परामर्शदाता
परामर्शदाता (लेखा)

संयुक्त
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी
वित्त अधिकारी

लेखाओं की लेखापरीक्षा

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की पृथक ऑडिट रिपोर्ट का उत्तर

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की धारा 20(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के तुलन-पत्र (इसके साथ संलग्न) तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की गई है। उक्त वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रबंधन का है। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में बेहतरीन लेखाकरण पद्धतियों, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटन नियमों आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखाकरण ट्रीटमेंट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(कैग) की टिप्पणियां हैं। कानून, नियम तथा विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं कार्य-निष्पादन पक्ष आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों (कमेंट्स) को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।

3. यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि यह लेखापरीक्षा तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करते हुए इस प्रकार नियोजित एवं निष्पादित की जाए कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक गलतबयानी से मुक्त हों। लेखापरीक्षा में, परख/टेस्ट आधार पर, जांच, राशियों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन आदि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। यह लेखापरीक्षा हमारी विचार-अभिव्यक्ति का युक्तियुक्त आधार है।

4. इस लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित किया जाता है कि:

- (i) लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार रिपोर्ट में टिप्पणी के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए गए हैं।
- (ii) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा आदि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र(फॉर्मेट) में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारे विचार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उचित लेखा-पुस्तिकाओं तथा अन्य संगत अभिलेखों का रखरखाव किया हुआ है। यह ऐसी पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है।
- (iv) यह भी सूचित किया जाता है कि:

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्ति

क.1.1 स्थायी परिसंपत्ति (अनुसूची-4) रु 339.24 करोड़

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई 101.97 करोड़ रु की राशि का कार्य चल रहा है। इसमें मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए उपयोग की गई राशि भी शामिल है। इसके पूरा होने पर नई परिसंपत्ति/पूंजी का सृजन नहीं होगा तथा इसे मरम्मत एवं रखरखाव खर्च के तहत बुक किया गया है। मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का लेखाकरण ट्रीटमेंट जो पहले चालू पूंजीगत कार्य में लेखाबद्ध किया गया था और फिर कार्य के पूरा होने पर मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष में लेखाबद्ध किया गया है। यह सही नहीं है। विश्वविद्यालय को सभी मरम्मत एवं रखरखाव के खर्च चालू पूंजीगत कार्य के तहत बुक करने की बजाए सीधे मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष के तहत बुक करने चाहिए। इस प्रकार लेखाओं में दर्शाए गए चालू कार्यों को संगत ढंग से नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, जेएनयू ने नए निर्माण कार्य तथा मरम्मत/रखरखाव के कार्य के लिए उपयुक्त राशि का अलग-अलग विभाजन नहीं किया है।

ख. सहायक अनुदान राशि

वर्ष 2022-23 के लेखाओं के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) को 521.46 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि (अनावर्ती 38.99 करोड़ रु. तथा आवर्ती 482.27 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई। इसमें 49.00 करोड़ रु. की पूर्व वर्षों के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राशि भी शामिल है। इसमें 5.44 करोड़ रु. की अनावर्ती अनुदान राशि का अथ शेष था। 477.90 करोड़ रु की उपलब्ध राशि में से वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने 452.32 करोड़ (अनावर्ती: 19.17 करोड़ एवं आवर्ती: 433.14 करोड़) का उपयोग किया तथा 11.76 करोड़ रुपए की अनुदान राशि (अनावर्ती: 6.45 करोड़ और आवर्ती: 5.31 करोड़ रुपए) लौटाई/व्यपगत हो गई। इस प्रकार, दिनांक: 31 मार्च, 2023 को 13.82 करोड़ रु. की राशि अंत शेष रही।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति के ध्यान में लाया गया है।

- (v) पिछले पैराओं में लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के अधीन सूचित किया जाता है कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा आदि लेखा-पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं।
- (vi) हमारे विचार से लेखाकरण नीतियों एवं लेखा नोट के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण की टिप्पणी सं. बी-1.1 के अनुसार तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित प्रतीत होते हैं।

क. जहां तक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कामकाज की स्थिति पर तुलन-पत्र का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं; तथा

ख. जहां तक उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के घाटे का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- ह -

स्थान: नई दिल्ली

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

1. आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की पर्याप्तता

- वर्ष 2021-22 तक जेएनयू के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा जेएनयू की लेखापरीक्षा की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 के दौरान 25 यूनिटों की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी जिनमें से 7 यूनिट की लेखापरीक्षा की गई है।
- 31.03.2023 को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 244 लेखापरीक्षा पैरा बकाया हैं। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा पर अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त है।

2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता।

विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:-

- बैंक समाधान विवरणों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- सांविधिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का उत्तर प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि दिनांक: 31.03.2023 को वर्ष 2002-03 से 2022-23 की अवधि के दौरान 83 बाह्य लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।

3. स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

- पुस्तकों तथा प्रकाशन सामग्री सहित स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन 2022-23 तक किया जा चुका है।

4. वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

- लेखन सामग्री एवं उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 2022-23 तक किया जा चुका है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- दिनांक: 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक की कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की पृथक ऑडिट रिपोर्ट का उत्तर

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्ति

क.1.1 स्थायी परिसंपत्ति (अनुसूची-4) रु 339.24 करोड़

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई 101.97 करोड़ रु की राशि का कार्य चल रहा है। इसमें मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए उपयोग की गई राशि भी शामिल है। इसके पूरा होने पर नई परिसंपत्ति/पूंजी का सृजन नहीं होगा तथा इसे मरम्मत एवं रखरखाव खर्च के तहत बुक किया गया है। मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का लेखाकरण ट्रीटमेंट जो पहले चालू पूंजीगत कार्य में लेखाबद्ध किया गया था और फिर कार्य के पूरा होने पर मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष में लेखाबद्ध किया गया है। यह सही नहीं है। विश्वविद्यालय को सभी मरम्मत एवं रखरखाव के खर्च चालू पूंजीगत कार्य के तहत बुक करने की बजाए सीधे मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष के तहत बुक करने चाहिए। इस प्रकार लेखाओं में दर्शाए गए चालू कार्यों को संगत ढंग से नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, जेएनयू ने नए निर्माण कार्य तथा मरम्मत/रखरखाव के कार्य के लिए उपयुक्त राशि का अलग-अलग विभाजन नहीं किया है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

चालू कार्य और अन्य प्रमुख मरम्मत कार्यों की बुकिंग के लिए लेखाकरण प्रक्रिया इस प्रकार है:

नए निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों के लिए निर्माण एजेंसियों (मैसर्ज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), मैसर्ज राईट्स आदि) को भुगतान की गई अग्रिम राशि अनुसूची-7: ऋण, अग्रिम और जमा पूंजी-2, पूंजीगत लेखा-सिविल कार्य संबंधी अग्रिम के रूप में बुक किया गया है।

निर्माण एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वर्षांत अग्रिम राशि को अनुसूची-4: स्थायी परिसंपत्ति-18, चालू पूंजीगत कार्य में डेबिट कर तथा अग्रिम राशि को क्रेडिट कर समायोजित किया गया है।

निर्माण एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों को अनुसूची-4, स्थायी परिसंपत्ति तथा अनुसूची-18: मरम्मत और रखरखाव में पूर्ण हुए कार्यों के रूप में बुक किया गया।

मरम्मत कार्यों के लिए लेखाकरण प्रक्रिया सामान्यतः वित्त वर्ष में पूरी की जाती है और इसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है जबकि पूंजीगत कार्यों के लिए लेखाकरण ट्रीटमेंट विभिन्न वित्त वर्षों में किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में मरम्मत कार्यों के लिए 1.75 करोड़ रु की राशि अनुसूची-4: स्थायी परिसंपत्ति-18 चालू पूंजीगत कार्य में जोड़ी गई है तथा मरम्मत कार्यों के समतुल्य राशि अनुसूची-4: स्थायी परिसंपत्ति-18 चालू पूंजीगत कार्य से घटाया गया है तथा इसे अनुसूची-18: मरम्मत एवं रखरखाव में राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया है।

विश्वविद्यालय में चालू पूंजीगत कार्यों के अतिरिक्त निर्माण कार्य के विवरण उपलब्ध करा दिए हैं तथा लेखापरीक्षा के दौरान चालू पूंजीगत कार्य में से कटौती तथा प्रथक मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तर भी इसके साथ संलग्न है। तथापि, अगले वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

ख. सहायक अनुदान राशि

वर्ष 2022-23 के लेखाओं के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) को 521.46 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि (अनावर्ती 38.99 करोड़ रु. तथा आवर्ती 482.27 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई। इसमें 49.00 करोड़ रु. की पूर्व वर्षों के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राशि भी शामिल है। इसमें 5.44 करोड़ रु. की अनावर्ती अनुदान राशि का अथ शेष था। 477.90 करोड़ रु की उपलब्ध राशि में से वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने 452.32 करोड़ (अनावर्ती: 19.17 करोड़ एवं आवर्ती: 433.14 करोड़) का उपयोग किया तथा 11.76 करोड़ रुपए की अनुदान राशि (अनावर्ती: 6.45 करोड़ और आवर्ती: 5.31 करोड़ रुपए) लौटाई/व्यपगत हो गई। इस प्रकार, दिनांक: 31 मार्च, 2023 को 13.82 करोड़ रु. की राशि अंत शेष रही।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित आंकड़े अनावर्ती/आवर्ती अनुदान राशि की तथ्यात्मक प्रस्तुति हैं और अनुसूची 9-अनुदान/सहायिकी से मेल खाते हैं

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति के ध्यान में लाया गया है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति के ध्यान में लाई गई कमियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और उनका अलग से उत्तर दिया गया।

सुमन कुमार

(डॉ सुमन कुमार)
वित्त अधिकारी

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

1. आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की पर्याप्तता

- वर्ष 2021-22 तक जेएनयू के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा जेएनयू की लेखापरीक्षा की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 के दौरान 25 यूनिटों की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी जिनमें से 7 यूनिट की लेखापरीक्षा की गई है।
- 31.03.2023 को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 244 लेखापरीक्षा पैरा बकाया हैं। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा पर अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 25 इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग-2 और अनुभाग-3 में कर्मचारियों की कमी के कारण केवल 07 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई।

आंतरिक लेखापरीक्षा ने संबंधित इकाइयों को बकाया पैरा पर की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले ही अनुस्मारक जारी कर दिए हैं और उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।

2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता।

विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:-

- बैंक समाधान विवरणों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- सांविधिक लेखापरीक्षा आपतियों पर प्रबंधन का उत्तर प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि दिनांक: 31.03.2023 को वर्ष 2002-03 से 2022-23 की अवधि के दौरान 83 बाह्य लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

आंतरिक लेखापरीक्षा ने बकाया पैरा पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित इकाइयों को पहले ही अनुस्मारक जारी कर दिए हैं ताकि बकाया पैरा का निपटान किया जा सके।

3. स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

- पुस्तकों तथा प्रकाशन सामग्री सहित स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन 2022-23 तक किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

कोई टिप्पणी नहीं।

4. वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

- लेखन सामग्री एवं उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 2022-23 तक किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

कोई टिप्पणी नहीं।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- दिनांक: 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक की कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

कोई टिप्पणी नहीं।

- ह -

(डॉ सुमन कुमार)
वित्त अधिकारी